[2020] 2 एस. सी. आर. 500

एम. सी. मेहता

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(आई. ए. नंबर। 2019 का 158128 और 158129)

में।

(1985 की रिट याचिका (सी) संख्या 13029)

13 जनवरी, 2020

[अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता, जे. जे.]

पर्यावरण कानूनः प्रदूषण-दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्रों के हॉटस्पॉट में-सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के अंतर्वर्ती आवेदनों पर निर्णय लेते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को उनके द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट संख्या 106 प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई. पी. सी. ए.)

आई. डी. 1 दिनांकित आदेश में, न्यायालय ने कहा कि पराली जलाने, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों, खुले में कचरा/कचरा फेंकने, कच्ची सड़कों/गड्ढों, सड़क की धूल, कचरा जलाने और यातायात की भीड़-भाड़-दिल्ली में विभिन्न हॉटस्पॉट द्वारा गंभीर प्रकार के प्रदूषण द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन किया गया है। एन. सी. आर. क्षेत्रों की पहचान की गई-न्यायालय ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के एन. सी. टी. राज्यों और पंचायतों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को पराली जलाने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए।

कुछ समय के लिए निर्माण गतिविधियाँ-ई. पी. सी. ए. द्वारा ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किए गए थे-दिनांक 29.1.2018 के आदेश द्वारा न्यायालय ने उच्च स्तरीय कार्य बल के गठन का निर्देश दिया-न्यायालय ने आगे केंद्र सरकार को सहयोग से काम करने का निर्देश दिया और

पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श कचरा निपटान और कचरे की समस्या प्रबंधन को भी न्यायालय द्वारा संबोधित किया गया था-आदेश द्वारा न्यायालय

दिनांक 13.11.2019 ने केंद्र सरकार और दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को स्मॉग टावरों की स्थापना पर विचार करने का निर्देश दिया-न्यायालय ने दिनांक 25.11.2019 के आदेश द्वारा नई तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया

प्रदूषण का नियंत्रण-पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

500 एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

जलवायु परिवर्तन ने स्मॉग टावर्स, एंटी स्मॉग गन, ऑक्सी फर्नेस, नैनो प्रौद्योगिकी, रासायनिक विधियों, निगरानी प्रौद्योगिकियों (यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क, लेजर) के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दायर की

तरीके और स्पेक्ट्रोस्कोपिक निगरानी तकनीक)-पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामे दायर किए-निर्देश जारी किए गए: उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय को रिकॉर्ड पर रखना-- पराली जलाने से रोकने के लिए व्यापक योजना तैयार करना-राज्य

कैनॉट प्लेस में स्मॉग टावर की स्थापना और आनंद विहार में स्मॉग टावर की स्थापना-दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्र में एंटी-स्मॉग गन का उपयोग करने के लिए-एन. सी. टी. राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में प्लास्टिक, औद्योगिक और अन्य कचरे की पहचान करने के लिए। कचरा और समयबद्ध आधार पर इसे हटाना सुनिश्चित करना-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों की निगरानी करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे पीएम/एनओएक्स/एसओएक्स के मानदंडों और मानकों का पालन करते हैं संबंधित राज्य निर्माण/विध्वंस के संबंध में मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें और उसी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें

और सड़क निर्माण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में भी-संबंधित राज्य अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक योजना बनाएँगे

- जिन क्षेत्रों में ई. पी. सी. ए. द्वारा समस्याओं को इंगित किया गया है, उन क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि

उपाय किए गए हैं-डी. एस. टी. कांच उद्योगों में ऑक्सी भट्टी की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करेगा-'रासायनिक परीक्षण' के लिए काम करेगा

तरीके और 'वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रौद्योगिकी'-दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कचरे और कचरे से निपटने के लिए पूरी क्षमता रखने के लिए व्यापक योजना बनाएगी-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिट्टी के तेल पर चलने वाले वाहनों की जांच के लिए की गई कार्रवाई को अदालत के समक्ष पेश करेगा-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली पानी की गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा-विभिन्न राज्य सरकारों को विभिन्न नदियों में पानी और अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्टों को डालने के संबंध में किए गए उपायों के बारे में अदालत को सूचित करने का निर्देश दिया गया

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारें कारण बताएँ कि उन्हें [2020] 2 एस. सी. आर. के लिए मुआवजे के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पराली जलाने और अन्य प्रदूषण को रोकने में विफलता-राज्य

यातायात की समस्या के समाधान के लिए योजना बनाने के लिए भी चिंतित भीड़भाड़।

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः आई. ए. नं. 158128 और 1985 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 13029 में 2019 का 158129।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

हरीश एन. साल्वे, सुश्री अपराजित सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , ए. डी. एन. राव, सिद्धार्थ चौधरी, अधिवक्ता। (ए. सी. एस.), ए. एन. एस. नाडकर्णी, सुश्री पिंकी

आनंद, एएसजी, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, सिद्धार्थ दवे, पी. एस. नरसिम्हा, सुश्री अनीता शेनॉय, गोपाल जैन, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. एल. चिदानंद, राजेश के. सिंह, सुश्री सुहासिनी सेन, एस. एस. रेबेलो, विजय प्रकाश, जी. एस. मक्कर, श्रीमती अनिल कटियार, संजय के. विसेन, राजीव कुमार दुबे, कमलेंद्र मिश्रा, नितिन पी., विजय पंजवानी, सुश्री रुचि कोहली, विभु शंकर मिश्रा,

सुश्री सिंदूरा वी. एन. एल., राहुल, जी. तनवानी, सुश्री अदिति त्रिपाठी, सुश्री कांति, सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री शेरोन मैथ्यू, सुमित गुप्ता, सुश्री मधु स्मिता, सुश्री आस्था त्यागी, रोहित के. सिंह, एस. के. भट्टाचार्य, बिमल रॉय जाड, सौरव अग्रवाल, अंशुमन चौधरी, विभु अंशुमन, संजीत सिंह, सुश्री गायत्री वर्मा, अनीश सेठी, सुरजीत सिंह, सुश्री स्नेहा जेड मसान, सेंथिल जगदीशन, श्रुतंजय भारद्वाज, सुश्री दिव्या रॉय, आर. डी. उपाध्याय, अजीत पुद्दुसरी, सुश्री पलक जैन, संजीव के. कपूर, मेसर्स। खेतान एंड कंपनी, एड. उपस्थित दलों के लिए।

याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. यह मामला पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित है जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। न केवल वायु प्रदूषण हो रहा है

निर्विवाद रूप से, लेकिन हम देश में नदियों के प्रदूषण का भी सामना कर रहे हैं। दिल्ली और एन. सी. आर. में हुए प्रदूषण के संबंध में, एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

न्यायालय ने 2017 के आई. ए. No.127792 पर विचार करते हुए विभिन्न धाराओं को पारित किया है और दिनांकित 29.1.2018 आवेदन का निपटारा किया है और उपरोक्त अंतर्वर्ती आवेदन से संबंधित मामले को लेते हुए। 2019 पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार को स्थिति टी के साथ अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। इसके बाद मामले को 4.11.2019 पर सूचीबद्ध किया गया। दिल्ली और क्षेत्रों में हॉट स्पॉट में प्रदूषण के संबंध में ई. पी. सी. ए. द्वारा No.106 रिपोर्ट करें। इस न्यायालय द्वारा 4.11.2019 पर निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

" हमने श्री भुरेलाल को सुना है, जिन्होंने इसके बारे में बताया है

सिंचाई।

हमने मंत्रालय और आई. आई. टी. के कुछ विशेषज्ञों और पक्षों के वरिष्ठ वकील और न्यायमित्र से भी बात की है। आज हर कोई दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को लेकर चिंतित है। यह कोई नई बात नहीं है, हर साल इस तरह की

तीखी स्थिति एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए उत्पन्न होती है। यह इस तथ्य से और भी जटिल हो जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद, इस न्यायालय सहित अन्य प्राधिकरण, राज्य सरकारें, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और दिल्ली और आसपास के राज्यों के निगम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें आदेश दिया गया है। यह एक चौंकाने वाली स्थिति है जिसमें

हम आज के रूप में रखे गए हैं। यह इन सभी कार्यों द्वारा बड़ी आबादी के जीवन के अधिकार का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन है।

जिन वैज्ञानिक आंकड़ों की ओर इशारा किया गया है, वे इंगित करते हैं कि जीवन काल

इस तरह के प्रदूषण से लोगों की संख्या कम हो रही है और लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे गंभीर प्रदूषण की स्थिति के कारण दिल्ली वापस न आएं या दिल्ली छोड़ दें। बड़े पैमाने पर पलायन नहीं हो सकता है। लोगों को दिल्ली में भी अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है और राजधानी होने के कारण दिल्ली से लोगों को निकाला नहीं जा सकता है। हम यह समझने से चूक गए हैं कि हम ऐसी स्थिति क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं जिसमें इस तरह का प्रदूषण न हो, वह भी हर साल नियमित तरीके से। जाहिर है कि यह बहुत बड़ी बात है कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार और नागरिक निकायों की हालत खराब है

राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे, जिन्हें वैधानिक अभिव्यक्ति मिली है, उन्हें वैधानिक उपहास बनाया जा रहा है और इस संबंध में इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्देशों का भी दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन किया जा रहा है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय आ गया है जब हमें इस तरह की स्थिति के लिए जवाबदेही तय करनी होगी जो उत्पन्न हुई है और जीवन के अधिकार को नष्ट कर रही है

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन है। यह कहा जा सकता है कि किसी भी किसान को इस आड़ में अधिकार नहीं है कि उसके पास खाद के उद्देश्य से पराली का उपयोग करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, क्योंकि उनके पास दो फसलों के बीच कम समय है, अगली फसल की कटाई और बुवाई। इस प्रकार, वे इसे अपने खेतों में जलाकर, बड़ी आबादी के जीवन को खतरे में नहीं डाल सकते हैं।

यह उपग्रह छवियों से स्पष्ट है जो

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी जल रहा है। यह एक एकल जिले या ग्राम पंचायत क्षेत्र में भी नहीं हो सकता था क्योंकि हम एक सभ्य देश में रहते हैं जिसमें इस तरह की गतिविधियाँ न केवल संबंधित क्षेत्र में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी इस तरह के खतरनाक प्रदूषण पैदा करती हैं, जिसके दुष्प्रभावों से लोगों को मरने या विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। ग्राम पंचायत के स्तर तक पहुँचने वाली शीर्ष राज्य मशीनरी सहित सभी को जवाबदेह होना होगा। पंचायत स्तर तक प्रशासनिक शक्ति देने का उद्देश्य ही यह है कि उचित प्रशासन होना चाहिए और ऐसी गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह कार्रवाई स्पष्ट रूप से कष्टप्रद है और उल्लंघन के अलावा वैधानिक प्रावधानों के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय है।

अदालत के आदेश से। इन परिस्थितियों में, जैसे ही बड़े पैमाने पर पराली जलाई गई है, हम पंजाब और हरियाणा राज्यों और आसपास के उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश देते हैं, जहां पराली जलाने की समस्या है।

हम राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, जिला कलेक्टरों, तहसीलदारों, महानिदेशक, आई. जी./एस. पी. और संबंधित पुलिस स्टेशन के क्षेत्र के अन्य पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब से पराली जलाने की एक भी घटना न हो, संपूर्ण पुलिस तंत्र। यदि यह पाया जाता है कि किसी भी पराली को जलाया गया है, तो न केवल वह व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, वह एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन के लिए खींचा जाए, लेकिन मुख्य सचिव से लेकर पूरे प्रशासन को, आयुक्त, कलेक्टर और अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी और पंचायतें। ग्राम प्रधान/सरपंच पंचायत को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया जाता है कि ऐसी कोई पराली न जलाई जाए।

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और अधिकारियों को यह भी समझाने दें कि उन्हें यातनापूर्ण दायित्व के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने मान लिया है और पराली जलाने को रोकने में उनकी विफलता के कारण जो कि पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत का पूरी तरह से उल्लंघन है।

क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, और उन अधिकारियों को भी जो इस न्यायालय द्वारा लगाए गए स्पष्ट प्रतिबंधों और वैधानिक निषेध के बावजूद पराली जला रहे हैं।

हम प्रत्येक पंचायत के सरपंच और संबंधित क्षेत्र के एस. एच. ओ. को उन अधिकारियों की सूची तैयार करने का भी निर्देश देते हैं जिन्होंने अपने खेतों में स्टब जलाए हैं। हम सरपंच, ग्राम पंचायत के साथ-साथ क्षेत्र की संबंधित पुलिस और कलेक्टर और सभी अधीनस्थ अधिकारियों सहित स्थानीय प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हैं कि आगे कोई पराली न जलाई जाए। यदि कोई पराली जलाने की घटना ऊपर से नीचे तक होती है और तो ग्राम पंचायत के सरपंच यातनापूर्ण कार्य और नियमों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश और ग्राम पंचायत को भी तुरंत ग्रामीणों को पराली जलाने में शामिल नहीं होने और उचित कार्रवाई करने की सलाह देने दें।

हम राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के साथ-साथ एन. सी. टी. दिल्ली सरकार को भी निर्देश देते हैं कि वे वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर कोई स्थिति को जानता है, विशेषज्ञों की मदद से तुरंत कदम उठाए जाएं। हम दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न निगमों को निर्देश देते हैं कि वे मिलकर काम करें और यह देखें कि वायु प्रदूषण में योगदान देने वाले कचरे और कचरे से युद्ध स्तर पर निपटा जाए। आज से बिना किसी प्रयास के प्रयास किए जाने चाहिए।

समय की हानि।

ई. पी. सी. ए. को सुश्री अपराजित द्वारा सुझाए गए सुझाव पर विचार करने दें।

सिंह, विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान न्यायमित्र ने कहा कि डीजल वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करना चाहिए।

इस संबंध में तुरंत उचित कदम उठाएं क्योंकि इसके पास आपात स्थिति का ध्यान रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की शक्ति है।

विध्वंस और निर्माण गतिविधियों के संबंध में हम निर्देश देते हैं

कि दिल्ली में कोई विध्वंस और निर्माण गतिविधियाँ नहीं होती हैं

और एन. सी. आर. क्षेत्र। यदि यह पाया जाता है कि ऐसी गतिविधि की जाती है, तो स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ क्षेत्रीय आयुक्तों, उप क्षेत्रीय आयुक्तों सहित नगरपालिका प्राधिकरणों को ऐसी सभी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्हें न्यायालय के आदेश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कोई नहीं है।

गतिविधि होती है। हमें सूचित किया गया है कि कोयला आधारित उद्योगों का उपयोग बंद कर दिया गया है। यदि इसका कोई उल्लंघन पाया जाता है तो क्षेत्रीय उपायुक्त सहित संबंधित व्यक्ति इस न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा और अवमानना के लिए दंडित किया जाएगा।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजीव सेन ने यह भी बताया कि दिल्ली में सम-विषम योजना के दौरान दोपहिया और तिपहिया वाहनों का अधिक उपयोग किया गया है और उनका उपयोग किया जा रहा है। समान प्रदूषण का कारण बनता है, क्योंकि केवल विषम और सम संख्या के आधार पर कुछ वाहनों के उपयोग को रोकने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया है कि डीजल वाहनों का उपयोग बंद करना उचित होगा, क्योंकि डीजल वाहन अधिक प्रदूषण का कारण बनते हैं।

पेट्रोल और सीएनजी वाहनों की तुलना में। सरकार को जाने दें

दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस पहलू की व्याख्या करता है और पिछले अनुभव के आधार पर अदालत में इस संबंध में डेटा दाखिल करता है और क्या इस तरह के प्रतिबंध के दौरान तिपहिया और टैक्सी सड़क पर अधिक चल रहे हैं और प्रासंगिक डेटा रखा जाना चाहिए। सम/विषम योजना के दौरान चार पहिया वाहनों का उपयोग बंद करने से क्या अंतर पड़ रहा है जब दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न अन्य अंशदायी कारकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वायु गुणवत्ता, शीतकालीन निरीक्षण 31.10.2019 तक की स्थिति यहाँ नीचे निकाली गई हैः

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

' एयर क्वालिटी विंटर इंस्पेकशन '(2019)

2020) स्थिति-31.10.19 तक

कुल निरीक्षण-249 प्रमुख सूत्रों ने बताया

कूड़ा-कचरा

डी का ओपन डंपिंग

अनपेव्ड

सड़क की धूल

यातायात

कचरा/कचरा

सड़क/गड्ढा

जल रहा है।

भीड़भाड़

201

126

407

154

81

स्रोत

दिल्ली

NCR

सी एंड डी

नोएडा (12 प्रतिशत)

• नई दिल्ली जिला

फरीदाबाद (11.7%)

(10.3 %)

• पूर्वी जिला (9.8%)

गुरुग्राम (दक्षिण)

• पश्चिमी जिला (8.2%)

(10.9 %)

गाजियाबाद (8.8%)

खुले में डंपिंग

• नई दिल्ली जिला

नोएडा (9.58%)

कचरा/कचरा

फरीदाबाद (8.84%)

(17.44 %)

• पूर्वी जिला

गुरुग्राम (दक्षिण)

(14.98 %)

(6.14 %)

• दक्षिण जिला (7.8%)

गाजियाबाद (5.4%)

कच्ची सड़क/गड्ढा

गाजियाबाद

(12.44%)

दक्षिण पश्चिम

फरीदाबाद (9.21%)

(10.59 %)

नोएडा (8.75%)

• पूर्व और दक्षिण जिला

(9.67 %)

उत्तर पश्चिम जिला

(7.37 %)

गाजियाबाद

(16.23%)

• पूर्वी जिला (22.72

सड़क की धूल

मेरठ (11.6%)

%)

नोएडा (8.44%)

उत्तर पश्चिम जिला

(7.14 %)

सोनीपत (5.84%)

• उत्तरी जिला (5.8%)

कचरा जलाना

गुरुग्राम (दक्षिण)

• उत्तर पश्चिम जिला

(13.5 %)

(15.1 %)

नोएडा (12.7%)

• उत्तरी जिला

●

(10.3 %)

फरीदाबाद (9.5%)

• पूर्वोत्तर जिला

(9.5 %)

यातायात जाम

गाजियाबाद (4.9%)

- उत्तरी जिला

नोएडा (3.7%)

(23.5 %)

- पूर्वी जिला (13.6%)
- मध्य जिला

(11.1 %)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में परिभाषित प्रमुख प्रदूषणकारी गतिविधियाँः

1. जहांगीरपुरी

कचरा और सी एंड डी को खुले में फेंकना यातायात जाम

2. रोहिणी

सड़क की धूल

- खुले में कचरा फेंकना

3. बवाना

सी एंड डी और कच्ची सड़कें खुले में कचरा और सड़क की धूल फेंकना

4. अशोक विहार

कचरा और सी एंड डी को खुले में फेंकना सड़क की धूल

5. वज़ीरपुर

खुले में कचरा फेंकना

- सी एंड डी

6. विवेक विहार

- यातायात जाम

सी एंड डी

खुले में कचरा और सड़क की धूल फेंकना

7. आनंद विहार

› सी एंड डी

8. पंजाबी बाग

- सी एंड डी

9. मुंडका

कच्ची सड़कें

सी एंड डी और औद्योगिक अपशिष्ट डंपिंग

10. नरेला

औद्योगिक अपशिष्ट-डंपिंग और बर्निंग

कचरा फेंकना और जलाना एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

50

1. ओखला

ए.

खुले में कचरा फेंकना औद्योगिक अपशिष्ट और सी एंड डी को खुले में फेंकना



2. द्वारका

सी एंड डी

बी.

कच्ची सड़क

3. मायापुरी

कच्ची सड़क

- सड़क की धूल

एस.

4. साहिबाबाद

कच्ची सड़क

सड़क की धूल खुले में कचरा फेंकना



डी.

सी एंड डी

5. उद्योग विहार

खुले में कचरा फेंकना

कच्ची सड़कें

ई.

6. फरीदाबाद

- सी एंड डी

  खुले में कचरा फेंकना

- ●

  कच्ची सड़कें खुला जलाना

एफ.

●

औद्योगिक कचरा फेंकना

वायु गुणवत्ता निरीक्षण निर्माण और विध्वंस के अनुसार

नोएडा में नुकसान पहुँचा रहे दिल्ली/एन. सी. आर. क्षेत्र के शहर,

फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद के साथ-साथ दिल्ली के उदाहरण

इसका भी उल्लेख किया गया है।

जी.

. निर्माण और विध्वंस

2. वहाँ खुले में कचरा/कचरा फेंका जाता है।

5. कच्ची सड़क/गड्ढा।

एच.

1. सड़क की धूल।

5. कूड़ा जलाया जा रहा है।

6. यातायात जाम। हम निर्देश देते हैं कि निर्माण, विध्वंस और गतिविधियों के साथ-साथ कचरा जलाना भी तुरंत बंद किया जाए। यदि कोई व्यक्ति पाया जाता है

दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्र में निर्माण और विध्वंस गतिविधि और कचरा जलाने में, उसे दंडित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कर रहा है इस आदेश का उल्लंघन करने पर निर्माण और विध्वंस गतिविधि पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कचरा जलाने के लिए उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होगा जिससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा।

कचरे और कचरे को खुले में फेंकने के संबंध में, हम दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के साथ-साथ संबंधित लोगों को भी निर्देश देते हैं

नगर निगम तत्काल योजना बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कचरा और कचरा तुरंत सुरक्षित स्थानों पर हटाया जाए और यह भी सुनिश्चित करेगा कि खुले में कचरा न फेंका जाए। हम क्षेत्रीय उपायुक्त को इस संबंध में अन्य अधिकारियों के साथ जिम्मेदार होने का निर्देश देते हैं। सड़क-मानचित्र तैयार होने दें ताकि उचित व्यवस्था हो सके।

कचरे और कचरे को खुले में फेंकने से रोकने के लिए सुविधाएं, और चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय के समक्ष रखी जाएं।

सड़क की धूल की देखभाल के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव/धूल दबाने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाए। आई. आई. टी. के एक विशेषज्ञ ने छिड़काव के लिए पानी के उचित दबाव के बारे में सुझाव दिया। किस दबाव पर पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषण और धूल को कम किया जा सके ताकि इससे प्रदूषण न बढ़े। निगमों को कार्रवाई करने दें

आई. आई. टी. के विशेषज्ञ की सलाह। ऐसी सड़कें जहां यातायात की भीड़ अधिक हो, यातायात योजना भी इस तरह से तैयार की जाए कि किसी विशेष सड़क पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े ताकि यातायात बढ़े। भीड़भाड़ का ध्यान रखा जाता है। संबंधित यातायात अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए।

चूंकि हम ग्रामीण स्तर के साथ-साथ एन. सी. आर. क्षेत्रों के साथ-साथ दिल्ली के तीन राज्यों में निष्क्रियता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर दायित्व तय कर रहे हैं, इसलिए प्रकाशन के सभी माध्यमों जैसे टेलीविजन, मीडिया, समाचार पत्रों, रेडियो द्वारा व्यापक प्रचार किया जाए। ग्राम पंचायतों में ढोल बजाकर और अन्य तरीकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीणों को अन्य लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और दायित्व के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे इस तरह के कृत्यों में शामिल न हों।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

ऐसे मुद्दे जो जल रहे हैं और इसके लिए राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति को तुरंत बैठक करने और उचित निर्णय लेने और इसे लागू करने दें। उठाए गए कदमों की जानकारी इस न्यायालय को 06.11.2019 पर दी जाए। तीनों राज्यों के संबंधित मुख्य सचिवों द्वारा और

दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार।

ई. पी. सी. ए. के संबंधित अधिकारियों को तुरंत मिलने दें और प्रदूषण पैदा करने वाली औद्योगिक गतिविधियों के संबंध में इस संबंध में निर्णय लेने दें कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए। हम तीन राज्यों के सभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को भी निर्देश देते हैं कि मानदंडों के खिलाफ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों/गतिविधियों को रोका जाए

तुरंत। यह मेसर्स द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था। संजीव सेन और गोपाल शंकरनारायणन, विद्वान वरिष्ठ वकील हैं कि कुछ राज्यों में

जनरेटरों का भी उपयोग किया जा रहा है जो मुख्य रूप से बिजली की आपूर्ति में कटौती के कारण प्रदूषण बढ़ाते हैं। दिल्ली में जनरेटर दिल्ली के साथ-साथ एन. सी. आर. क्षेत्र में भी प्रदूषण बढ़ाते हैं। राज्य सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को यह सुनिश्चित करने दें कि

बिजली की कटौती नहीं की जाती है ताकि जनरेटर का उपयोग न किया जाए और सुनवाई की अगली तारीख तक किसी भी जनरेटर का उपयोग न किया जाए सिवाय आपातकालीन /

स्वास्थ्य सेवाएँ।

राज्य सरकारों, दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और भारत सरकार को भी भविष्य में इस तरह की स्थिति को रोकने के लिए एक रोडमैप तैयार करने दें और तीन सप्ताह के भीतर इस अदालत के समक्ष रखा जाए। कार्रवाई रिपोर्ट को चार दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

सप्ताह।

निर्देश/आदेश तब तक प्रभावी होंगे जब तक कि अन्यथा आदेश न दिया जाए।

दोपहर 3:30 बजे 06.11.2019 पर सूची बनाएँ।

2. इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 अर्थात जीवन के अधिकार का गंभीर प्रकार से उल्लंघन किया गया है जो पराली सहित विभिन्न कारकों के कारण हो रहा है। अक्टूबर/नवंबर के महीने में पराली जलाने से प्रदूषण लगभग 40 प्रतिशत बढ़ जाता है, लेकिन शेष डी के लिए, दिल्ली और एन. सी. आर. में पराली जलाना प्रदूषण का कारण नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्र। इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया कि प्रदूषण पैदा करने के लिए जिम्मेदार कई अन्य कारक निम्नानुसार हैं:

1. निर्माण और विध्वंस गतिविधियाँ।

2. खुले में कचरा/कचरा फेंकना।

3 . कच्ची सड़कें/गड्ढे। 4 . सड़क की धूल।

5 . कूड़ा जलाया जा रहा है। 6. यातायात जाम।

3. दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्रों में विभिन्न हॉटस्पॉट की पहचान की गई जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। इस न्यायालय ने किसानों की समस्या को नोट किया है दो फसलों के बीच के छोटे अंतराल के रूप में पराली जलाना जिसके कारण किसान पराली जलाने में लिप्त होते हैं। हमने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से पंजाब की उपग्रह छवियां देखी हैं जहां हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना में पराली जलाना अधिक था।

4. हमने देखा है कि प्रशासन में शामिल पूरे तंत्र को इस तरह के यातनापूर्ण कृत्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

विशेष रूप से, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह समस्या नई नहीं है और लंबे समय से जारी है, और अधिकारी कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं, हर साल शोर मचाया जाता है। उसी पर बुरी तरह से प्रतिबिंबित होता है

प्रशासन, समय पर उचित कार्रवाई नहीं करने और इसकी रोकथाम के लिए एक योजना तैयार करने से इसकी सुस्ती बढ़ जाती है।

5. इन परिस्थितियों में, हमने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।

दिल्ली। इस न्यायालय ने पंचायतों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों सहित सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं कि पराली न जलाई जाए। पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई. पी. सी. ए.) द्वारा ध्यान रखने के लिए अन्य निर्देश भी जारी किए गए। अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमने कुछ समय के लिए विध्वंस और निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगा दी और नगरपालिका अधिकारियों, क्षेत्रीय आयुक्तों और उप क्षेत्रीय आयुक्तों को स्थिति का ध्यान रखने का निर्देश दिया।

6. कुछ विद्वान वकीलों ने सम-विषम योजना की भ्रांति की ओर भी इशारा किया है क्योंकि यह उन कारों पर लागू किया गया था जो योगदान दे रही हैं।

प्रदूषण का तीन प्रतिशत और वाहनों के कारण भी 28 प्रतिशत

प्रदूषण और फिर एम. सी. मेहता बनाम पर भी दिल्ली में लगभग 50 प्रतिशत कारें चलती हैं।

भारत और ओआरएस का संघ।

विषम या सम संख्या वाले दिन। इस प्रकार, यह बताया गया कि यह समाधान है। हमने इस संबंध में भी कुछ आंकड़े मांगे हैं।

7. यह मामला इस न्यायालय द्वारा 6.11.2019 पर लिया गया था। हमारे पास वकील सहित विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिव हैं।

आर. ए. एल. और निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

" सुना है एस। के. के. वेणुगोपाल, भारत के विद्वान महान्यायवादी, श्री तुषार मेहता, भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पी. एस.

नरसिम्हा, विद्वान वरिष्ठ वकील।

हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सरकार के मुख्य सचिवों से भी बात की है। दिल्ली के एन. सी. टी. के बारे में विस्तार से, जो हमारे दिनांकित 04.11.2019 के आदेश के अनुसार आज उपस्थित हुए हैं। हमने श्री चरणपाल सिंह बागड़ी को भी सुना है, किसानों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। हमने श्री भूरे लाल को भी सुना है।

हम पाते हैं कि संबंधित राज्यों द्वारा पहले से कोई गंभीर आधार तैयार नहीं किया गया था, जहां पराली जलाई जा रही है। इस न्यायालय ने 29.01.2018 पर एक आदेश पारित किया। टिप्पणियाँ और

उप की रिपोर्ट पर ई. पी. सी. ए. द्वारा की गई सिफारिशें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की रोकथाम पर उच्च स्तरीय कार्य बल की समिति

इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। इस न्यायालय ने उच्च स्तरीय कार्य बल को अपने द्वारा तय की गई समयसीमा का पालन करने और सभी संबंधितों द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अदालत ने भी निर्देश दिया

उच्च न्यायालय की रिपोर्ट का प्रचार करने के लिए भारत संघ स्तरीय कार्यबल ताकि लोगों को कार्रवाई के बारे में पता चले। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जा सकता है। इस प्रकार, इस पवित्र आशा में कि पराली जलाने और पर्यावरण पर इसके प्रभाव का ध्यान रखा जाएगा, इस न्यायालय ने निपटा दिया

आवेदन।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर उच्च स्तरीय कार्य बल की उप-समिति की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसमें एक करोड़ रुपये देने का सुझाव दिया गया था। 100 / - प्रति क्विंटाल प्रोत्साहन और हतोत्साहित दोनों के रूप में।

पंजाब राज्यों के मुख्य सचिव ने पंजाब में फसल जलाने पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना को रिकॉर्ड में रखा है।

पंजाब राज्य दिनांकित 01.10.2019। हालाँकि, वही [2020] 2 एस. सी. आर. नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

रुपये का भुगतान करने का प्रस्ताव शामिल करें। 100 / - . इस अदालत द्वारा 04.11.2019 पर पारित आदेश के अनुसार पंजाब राज्य द्वारा उठाए गए कदमों को मुख्य सचिव द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, जिसे हम रिकॉर्ड में लेते हैं, जिसमें फसल की परिचालन लागत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए अवशेष प्रबंधन उपकरण

शून्य पराली जलाना। यह प्रस्तावित किया गया है कि रुपये की राशि। 100 / - प्रति क्विंटाल रु. आएगा। 2000-2500 / - प्रति एकड़। यह भी कहा गया था कि प्रति फसल लगभग 24 कुंतल की फसल है।

एकड़।

हम मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों द्वारा नहीं जलाए गए पराली की देखभाल करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

रु. पर परिमाणित राशि। 100 / - गैर-बासमती धान का प्रति कुंतल, उन किसानों को राज्य सरकारों द्वारा आज से सात दिनों के भीतर उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पराली नहीं जलाई है।

केंद्र सरकार ने यह योजना प्रदान की है कि

वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना। फसल अवशेष प्रबंधन जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर्स के लिए सुपर स्ट्रा प्रबंधन प्रणाली, हैप्पी सीडर्स, हाइड्रोलिकली रिवर्सिबल एमबी हल, धान स्ट्रा चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लैशर, जीरो टिल सीड ड्रिल और रोटावेटर्स को व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी और इन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ बढ़ावा दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अपने 100% हिस्से की राशि का वितरण किया है। 269.38 करोड़, रु। 137.84 करोड़, रु। 148.60 करोड़ और रु। 28.51 पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केंद्रीय एजेंसियों को क्रमशः करोड़ रुपये। पंजाब राज्य के मुख्य सचिव और किसानों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री चरणपाल सिंह बागड़ी द्वारा दिए गए बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब राज्य में पराली जलाने वाले अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी के हैं और सहकारी समितियां किराए के आधार पर मशीनें देती हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों द्वारा वहन नहीं की जा सकती हैं। हमें मुख्य सचिवों द्वारा एम. सी. मेहता बनाम को आश्वासन दिया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ।

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्य ने कहा कि वे छोटे और सीमांत किसानों के उपयोग के लिए कुछ मशीनें समर्पित करेंगे। यहां तक कि परिचालन खर्च भी राज्य सरकारें वहन करेंगी।

प्रत्येक राज्य में किसान। उस उद्देश्य के लिए रोडमैप तैयार किया जाए क्योंकि किसानों के इस वर्ग को ही समर्थन की आवश्यकता है क्योंकि यह मजबूरी और दो के बीच की कम अवधि के कारण है। फसल और वे उन मशीनों का खर्च वहन नहीं कर सकते जो मूल्यवान हैं, जिनकी कीमत अधिक है और दो फसलों के बीच इतना कम अंतर है कि वे परिस्थितियों में पराली जलाने के लिए मजबूर हैं।

जैसा कि मुख्य सचिव ने कहा है कि सरकार इन छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके हित को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और

स्व-निर्मित दिवालियापन इसे बचा नहीं सकता है जब राज्य का कृषि के प्रति दायित्व है। केंद्र सरकार पैसा दे रही है। राज्य सरकार ने इसमें योगदान दिया है।

वे छोटे और सीमांत किसानों के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। यह केंद्र के साथ-साथ राज्य का भी कर्तव्य है

आधुनिक मशीनें। यह कुछ चुने हुए लोगों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, जिनके पास इन विलासिताओं को वहन करने के लिए धन, साधन और शक्ति है। यह नितांत आवश्यक है कि गरीब किसानों को समान रूप से आधुनिक सुविधाएँ प्रदान की जाएं जो इसे रोकने के लिए आवश्यक हैं। पराली जलाने की ऐसी घटनाएं और राज्य सरकारों द्वारा स्व-निर्मित दिवालियापन या धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकती है, न कि अपने दायित्व का निर्वहन करना, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा "नगर परिषद, रतलाम बनाम वर्धीचंद और अन्य" में निर्धारित किया गया है। , ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 1622 में रिपोर्ट किया गया। हमने उपरोक्त निर्णयों की भावना के अनुसार विभिन्न राज्यों को निर्देश जारी किए हैं।

इस मामले में केंद्र सरकार की भी अपनी भूमिका है। कोष जारी करने, उच्च स्तरीय समिति का गठन करने, न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद, जिसके आधार पर इस न्यायालय ने 29.01.2018 पर आदेश पारित किया है, पराली जलाने को रोकने के लिए कुछ नहीं हुआ और इस साल इसमें वृद्धि हुई है। पिछले साल भी पराली जलाई गई थी। यह [2020] 2 एस. सी. आर. की रक्षा करने के लिए पर्याप्त था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपनी जिम्मेदारी और दायित्व से बचें। उन्हें रखा जाना चाहिए। उनकी निष्क्रियता और हर साल पैदा होने वाली स्थिति के लिए उत्तरदायी। जब हम अधिकारियों की जिम्मेदारी पर आते हैं, तो जाहिर है, राज्य का संचालन करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी।

सरकार सकारात्मक दिशा में कदम उठाने के लिए भी जिम्मेदार हो जाती है। किसानों को दंडित करना अंतिम समाधान नहीं है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं, सुविधाएं और आधुनिक उपकरण प्रदान करना आज का आह्वान है, जो नहीं हुआ है और सहकारी समितियों को जो लाभ दिए जा रहे हैं, वे ज्यादातर बड़े किसानों द्वारा हड़पे जा रहे हैं। छोटे और सीमांत किसान अभी भी इन योजनाओं/मशीनों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हमें मुख्य सचिवों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वे इस पहलू पर गौर करेंगे और निश्चित रूप से इन मशीनों को छोटे और सीमांत किसानों को आवंटित करने के लिए कार्रवाई करेंगे। उनसे कुछ भी शुल्क लिए बिना भी उन्हें वर्तमान में विचार करने दें। हम राज्य को निर्देशित करते हैं

सरकार इन मशीनों, आधुनिक उपकरणों को छोटे और सीमांत किसानों की सेवा के लिए कुछ समय के लिए समर्पित करेगी, भले ही आवश्यक हो। ठोस कदम उठाए जाएं और कार्रवाई एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम.

भारत और ओआरएस का संघ।

संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आज से एक महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। हमें पंजाब राज्य के मुख्य सचिव द्वारा सूचित किया गया है कि उन्होंने जुलाई, अगस्त और सितंबर, 2019 के महीने में कुछ मशीनें खरीदने का आदेश दिया है। उन्हें रोज आवश्यक मशीनें मिल रही हैं। हमे उम्मीद थी और यह

यह आवश्यक था कि इन मशीनों की खरीद और फसल के लिए कटाई का मौसम आने से पहले उन्हें उपलब्ध कराने के लिए समय पर कदम उठाए जाने चाहिए थे। अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें जल्द से जल्द मशीनों की खरीद करेंगी और आज से चार सप्ताह के भीतर इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।

महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि केंद्र के संबंधित मंत्रालयों को निर्देश देना उचित होगा।

सरकार के साथ-साथ इसमें शामिल राज्य सरकारें

स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना महत्वपूर्ण है। यह एक स्वागत योग्य सुझाव है और हम इसे स्वीकार करते हैं। हम कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को पर्यावरणीय मुद्दों और ऐसे सभी सहायक मुद्दों का ध्यान रखने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने का निर्देश देते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक उपकरण प्रदान करना और ऐसी योजना को न केवल इन राज्यों के लिए बल्कि विभिन्न अन्य राज्यों के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए जहां ऐसी सुविधाओं की कमी है और हैं।

प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए, विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग/परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना के अनुसार तौर-तरीकों पर काम किया जा सकता है। इसे आज से तीन महीने के भीतर किया जाए और उठाए जाने वाले कदम इस न्यायालय को प्रस्तुत किए जाएं।

अदालत। हम वित्त के पहलू पर भी अंतिम निर्णय तब लेंगे जब हम राज्य [2020] 2 एस. सी. आर. द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विस्तृत रिपोर्ट पर विचार करेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकार और केंद्र सरकार सहित अन्य हितधारकों को सुनने के बाद। किसानों की ओर से पेश विद्वान वकील ने बताया है कि कुछ याचिकाएं लंबित हैं। जैसा कि एक साथ प्रार्थना की जाती है,

2017 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 23799 जिसका शीर्षक था "भारतीय किसान संघ बनाम। भारत संघ और अन्य "और 2018 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 15582 के रूप में शीर्षक

" चरणपाल सिंह बागड़ी बनाम भारत संघ और अन्य "। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में किसानों द्वारा दायर, वे हैं

इस मामले के साथ सुनवाई के लिए इस न्यायालय में स्थानांतरित किया गया।

हमने दिल्ली के मुख्य सचिव को भी सुना है और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 04.11.2019 आदेश में निकाली गई तालिकाओं की ओर इशारा किया है।

दिल्ली में निर्माण और विध्वंस, खुले में कचरा फेंकना, कचरा, कच्ची सड़कें/गड्ढे, सड़क की धूल, कचरा जलाना और यातायात जाम जैसे प्रदूषण में योगदान देना। यह दिनांकित 4.11.2019 क्रम में निकाली गई तालिका से स्पष्ट है कि

काफी हद तक योगदान उपरोक्त कारकों द्वारा किया जाता है और अन्य राज्यों में पराली जलाने का योगदान केवल 40 प्रतिशत से 44 प्रतिशत है। यह चौंकाने वाली स्थिति है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कच्ची सड़कें/गड्ढे हैं। हम हर साल भारी राशि खर्च करने के बावजूद सड़क की धूल की देखभाल नहीं कर पाए हैं, खुले में डंपिंग और कचरा, कचरा जलाना अभी भी हो रहा है। मूल रूप से, निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार

इस संबंध में एक उचित योजना तैयार करने में विफल रहा है। जब पुणे और इंदौर में कचरे/कचरे का प्रबंधन बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, तो हम दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन योजना क्यों नहीं बना सकते हैं, खासकर जब यह भारत की राजधानी और चेहरा है। यह अधिकारियों की पूर्ण उदासीनता और योजना की कमी और खर्च किए गए धन के लिए गैर-जवाबदेही को दर्शाता है, जो है -

हम आज जिस स्थिति में हैं, उसके लिए जिम्मेदार हैं। केवल निगरानी समिति ही अपना काम प्रभावी ढंग से कर रही है।

अन्यथा स्थिति बहुत खराब होती। हम उम्मीद करते हैं कि सभी अधिकारी स्थिति का ध्यान रखेंगे, हम अनुरोध करते हैं

निगरानी समिति भी इन पहलुओं पर गौर करेगी और

अनुपालन किया जाता है। हम उन्हें इन पहलुओं पर गौर करने के लिए अधिकृत करते हैं कि क्या इस संबंध में इस न्यायालय के आदेश उचित रूप से दिए जा रहे हैं।

निष्पादित किया या नहीं और इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि सात दिनों के भीतर अधिकांश पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आई. आई. टी. विशेषज्ञ के साथ परामर्श किया है कि सड़कों पर किस दबाव से पानी का छिड़काव किया जाए और धूल को जमा करने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाना चाहिए। हम आशा और विश्वास करते हैं कि मुख्य सचिव द्वारा दिए गए बयान को सही तरीके से पूरा किया जाएगा और इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट इस न्यायालय में दायर की जाएगी, जिसमें न केवल इन कार्यों के संबंध में कदम उठाए जाएंगे, बल्कि विभिन्न हॉट स्पॉट जो दिल्ली के संबंध में एन. सी. टी. दिल्ली सरकार द्वारा फरीदाबाद, गुरुग्राम आदि जैसे अन्य स्थानों के संबंध में बताए गए हैं, हम राज्यों के संबंधित मुख्य सचिव को उन हॉट स्पॉट की देखभाल करने और जरूरतमंद लोगों की अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं। कच्ची सड़कों/गड्ढों के संबंध में, आदर्श रूप से कोई गड्ढे/गड्ढे नहीं होने चाहिए क्योंकि वे विभिन्न दुर्घटनाओं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं

मौतें। वहाँ खुले कक्ष भी हैं जो बचे हुए हैं। कच्ची सड़कों ने भी प्रदूषण और धूल में योगदान दिया है। इस संबंध में एक ठोस योजना, कॉलोनी के बावजूद कानूनी है और सौंपी गई है या नहीं, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा विभिन्न निगमों और समय सीमा के सहयोग और परामर्श से इस न्यायालय को तैयार और प्रस्तुत की जाए।

इसके लिए भी कहा जाए। कितने समय में वे सड़क की स्थिति में सुधार करने जा रहे हैं। गड्ढों/गड्ढों का सकारात्मक रूप से ध्यान रखा जाए

आज से तीन सप्ताह।

8. इस न्यायालय ने दिनांकित 29.1.2018 आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि

सभी संबंधितों द्वारा तय की गई समयसीमा और अनुपालन का पालन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन। इस न्यायालय ने पहले भारत संघ को उच्च स्तरीय कार्य बल की रिपोर्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को की जा रही कार्रवाई के बारे में जागरूक किया जा सके। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रचार किया जाना था। अधिकारियों पर लगाए गए सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत पर कार्रवाई करते हुए, इस न्यायालय ने आवेदन का निपटारा कर दिया है। उच्च स्तरीय कार्य की उप-समिति की एक रिपोर्ट

इस न्यायालय के समक्ष बल प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रति क्विंटाल Rs.100/- देने और दोनों को हतोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था। 9. आई. डी. 1 पर इस अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार, पंजाब के मुख्य सचिव ने फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण की परिचालन लागत के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का सुझाव दिया ताकि पराली जलाने को शून्य करने में सकारात्मक भूमिका निभाई जा सके।

प्रस्तावित किया कि रुपये की राशि। 100 / - प्रति क्विंटाल 2500/- प्रति एकड़ होगा क्योंकि उपज लगभग 24 क्विंटाल प्रति एकड़ है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने निर्देश दिया है कि गैर-बासमती धान के लिए Rs.100/- प्रति क्विंटाल की वित्तीय सहायता उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने प्रोत्साहन के रूप में पराली नहीं जलाई है। केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एन. सी. टी. दिल्ली राज्यों में इन-सीटू फसल अवशेषों के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना प्रदान की है। पुआल के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत और खरीद मशीनों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना के लिए 80 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की गई है, जैसा कि आदेश में उल्लेख किया गया है। 10. यह बताया गया कि सीमांत किसान और गरीब किसान पराली जलाते हैं क्योंकि उनके पास कंबाइन के लिए सुपर स्ट्रा प्रबंधन प्रणाली जैसी मशीनों को खरीदने या किराए पर लेने का कोई साधन नहीं है

इस बात पर ध्यान दिया कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद संबंधित राज्य सरकारों और समितियों द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए था। इस न्यायालय ने राज्य सरकार को छोटे और सीमांत किसानों की सेवा के लिए आधुनिक उपकरणों वाली कुछ मशीनों को समर्पित करने का भी निर्देश दिया। एक व्यापक योजना स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया। हमारे पास है।

केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर आवश्यक कार्य करने और इस न्यायालय में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग और परामर्श से काम करने का निर्देश दिया।

11. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि कोई उचित व्यवस्था क्यों नहीं है

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा इस संबंध में कचरा और अपशिष्ट प्रबंधन के निपटान और उचित योजना तैयार नहीं की गई है। जब इसे पुणे और इंदौर जैसे शहरों में प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, तो यह निराशाजनक है कि मुख्य सचिव ने अंततः कहा है कि उनके पास है

केवल 55 प्रतिशत कचरे और कचरे की व्यवस्था करें और शेष 45 प्रतिशत प्रति वर्ष के लिए नहीं। इन परिस्थितियों में, हमने निर्देश दिया है कि

निगरानी समिति इन पहलुओं को देखेगी और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हमने यह भी निर्देश दिया है कि कच्ची सड़कों, गड्ढों का भी ध्यान रखा जाए। गड्ढे विभिन्न दुर्घटनाओं और आकस्मिक मौतों का कारण बनते हैं। हमने निर्देश दिया है कि गड्ढे एम. सी. मेहता बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ।

तीन सप्ताह के भीतर और कच्ची सड़कों की देखभाल के लिए

पुनरोद्धार योजना तैयार की जाए।

12. इसके बाद इस न्यायालय ने 13.11.2019 पर मामला उठाया और

घ निम्नलिखित क्रमः

" आरईः दिल्ली में स्मॉग

हमने भारत संघ के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर से पेश विद्वान वकील से एक बैठक बुलाने के लिए कहा है।

3 से 10 किलोमीटर के दायरे में धुंध की देखभाल करने वाले धुंध टावरों की स्थापना की व्यवहार्यता पर काम करने के लिए कल तक बैठक होगी और अपना ठोस प्रस्ताव हमारे सामने रखेंगे क्योंकि दिल्ली के दृष्टिकोण से यह एक जरूरी मामला है।

हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) को निर्देश देते हैं कि

इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर भी रखा जाए। आवश्यकता को छोड़ दें। हलफनामा 15.11.2019 पर या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए।

विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता के अनुरोध पर,

इस अवधि के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज/शपथ पत्र दाखिल किए जाएं।

एक दिन।

डब्ल्यू. पी. में नोटिस जारी किया जाए। (ग) 2019 का सं. 1333 (मद सं. 309-विषम/सम स्थिति) और इस मामले के साथ 15.11.2019 पर सूचीबद्ध किया जाए।

रिट याचिका की एक प्रति स्थायी वकील को प्रस्तुत की जाए

उत्तरदाता के लिए "।

13. इस न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को स्मॉग टावर्स के निर्माण की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।

14. 15.11.2019 पर इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थेः

" पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से एक संयुक्त हलफनामा आज अदालत में कुछ पत्रों के साथ दिया गया है, जिनमें से एक पत्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 31.10.2019 [2020] 2 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(प्रदूषण को दूर करने के लिए टावरों की स्थापना के संबंध में अनुलग्नक आर/3) लेकिन उक्त प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता है। उपरोक्त शपथ पत्र को रिकॉर्ड में लिया गया है।

जैसा कि प्रार्थना की गई थी, आज से सात दिनों के भीतर इस मामले में निर्णय लिया जाए।

परीक्षण के परिणाम और उसके लिए आवश्यक न्यूनतम अवधि। आवश्यक शपथ पत्र सात दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। हमने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) के सदस्य सचिव और पक्षों की ओर से पेश होने वाले अन्य वरिष्ठ वकीलों/वकीलों को सुना है। सी. पी. सी. बी. के सदस्य सचिव ने बताया कि पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण लगभग 5 प्रतिशत तक कम हो गया है, हालांकि, पिछली पराली जलाने के अवशेष भी प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं।

यह भी बताया गया कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली के कुल प्रदूषण का 28 प्रतिशत है। इनमें से 8 प्रतिशत ट्रकों द्वारा, 1 प्रतिशत ट्रैक्टरों द्वारा, 3 प्रतिशत बसों द्वारा, 3 प्रतिशत कारों द्वारा, 7 प्रतिशत दोपहिया वाहनों द्वारा, 5 प्रतिशत तिपहिया वाहनों द्वारा और 1 प्रतिशत एल. सी. वी. द्वारा बनाया जाता है। उन्होंने बताया कि सम-विषम योजना केवल कारों पर लागू होती है, जो दिल्ली में वाहनों के यातायात के कारण होने वाले कुल प्रदूषण का 28 प्रतिशत में से केवल 3 प्रतिशत का योगदान करती है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने यह भी बताया है कि कारों के संबंध में सम-विषम योजना को लागू करना एक अच्छा समाधान नहीं कहा जा सकता है। हालांकि, प्रभावी सार्वजनिक परिवहन के अभाव में, दोपहिया और तिपहिया वाहनों का परिचालन बंद नहीं किया गया है।

एक अन्य कारक जो दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण है, उसे निर्माण कहा जाता है।

गतिविधियाँ। कृषि जलाने में 4 प्रतिशत, उद्योगों में 30 प्रतिशत और बायो मास, केरोसिन और एल. पी. जी. के रूप में आवासीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

यह भी बताया गया कि ऐसी शिकायतें हैं कि कुछ वाहन दिल्ली/एन. सी. आर. में अवैध रूप से मिट्टी के तेल का उपयोग कर रहे हैं और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी. पी. सी. सी.) के पास ऐसा करने का अधिकार और अधिकार है। दिल्ली में इस तरह के उपयोग की जाँच करें। डी. पी. सी. सी. इस मामले में आवश्यक कार्य कर सकता है। हम डी. पी. सी. सी. को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि तीन पहिया वाहनों के साथ-साथ उन वाहनों की भी यादृच्छिक जाँच की जाए जिनका उपयोग एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम. में किया जा रहा है।

भारत और ओआरएस का संघ।

निगमों के साथ-साथ ऐसे अन्य निकायों आदि द्वारा दिल्ली में किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है। एन. सी. आर. क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण निकायों को जाँच करनी है। यदि यह पाया जाता है कि मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है तो न केवल संबंधित चालक/मालिक जिम्मेदार होंगे, बल्कि विभाग के अधिकारियों को भी मिट्टी के तेल के उपयोग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यथासंभव अधिक से अधिक वाहनों की यादृच्छिक जाँच की जाए और इस संबंध में की गई जाँच के सात दिनों के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

सी. पी. सी. बी. के सदस्य सचिव ने यह भी बताया कि दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट हैं जिनकी पहचान की गई है और एन. सी. आर. में कई अन्य स्थान हैं जिनका उल्लेख दिनांक 06.11.2019 के आदेश में भी किया गया है। उन हॉट स्पॉट की देखभाल के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन बहुत सारे कदम उठाए जाने बाकी हैं। प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि इस न्यायालय के आदेश के अनुसार हॉट स्पॉट से प्रदूषकों को हटाया जा सके। हॉट स्पॉट को एक सप्ताह के भीतर प्रदूषकों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, जो कि सी. पी. सी. बी. के सदस्य सचिव द्वारा बताए गए अनुसार एक उचित अवधि है और अनुपालन शपथ पत्र दायर किया जाना चाहिए।

हमने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी से यह पता लगाने के लिए कहा है कि सर्दियों की शुरुआत और कोहरे की स्थिति को देखते हुए दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, जो गंभीर समस्या पैदा करने वाले हैं।

हमने देखा है कि सम-विषम योजना लागू होने के बावजूद दिल्ली शहर और एन. सी. आर. क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रदूषण बहुत गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। सभी संबंधितों को मिलकर काम करने और एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक प्रतिकूल मुकदमा नहीं है। संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक न्यास के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने दें और जो प्रदूषण हो रहा है, उससे निपटने के लिए इस अवसर पर आगे बढ़ें। प्रभावी कदम सुझाए जाएं यह न्यायालय, जैसा कि आश्वस्त किया गया है, 25.11.2019 पर। यह भी बताया गया कि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में अभी भी पराली जलाई जा रही है। सुश्री अपराजित सिंह, विद्वान न्यायमित्र, श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और श्री मुकुल रोहतगी द्वारा उपग्रह चित्रों को रिकॉर्ड पर रखा गया है।

विद्वान वरिष्ठ वकील। परिस्थितियों में, सुनिश्चित करने के लिए कि आवश्यक कदम उठाए जाएं और कोई पराली न जलाई जाए, [2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की उपस्थिति आवश्यक है क्योंकि बहुत कुछ करने की आवश्यकता है और आदेशों के बावजूद दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बिगड़ रहा है। हम उपरोक्त राज्यों/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को फाइल करने का निर्देश देते हैं

उठाए गए कदमों और उपस्थित रहने के बारे में उनके संबंधित शपथ पत्र

इस न्यायालय में 25.11.2019 पर।

हम सम-विषम योजना के मुद्दे पर आगे विस्तार नहीं कर रहे हैं जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा था कि सम-विषम योजना के लिए आज अंतिम दिन है। चाहे जो भी हो, इस संबंध में सी. पी. सी. बी. के साथ-साथ एन. सी. टी. दिल्ली सरकार द्वारा और आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी. डी. ए.), लोक निर्माण विभाग/सी. पी. डब्ल्यू. डी. और दिल्ली के सभी निगम सहयोग करते हैं और निगरानी समिति को पूरा समर्थन देते हैं, किसी भी गैर-अनुपालन को देखा जाना चाहिए।

इस न्यायालय द्वारा गंभीरता से।

25.11.2019 "पर सूची बनाएँ।

15. एन. सी. टी. दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि आवेदन करके अकेले कारों के संबंध में विषम-सम योजना को एक संपूर्ण समाधान नहीं कहा जा सकता है। प्रभावी सार्वजनिक परिवहन के अभाव में, दो पहिया और तीन पहिया वाहनों का परिचालन बंद नहीं किया गया है।

16. वास्तव में, हमारी राय में, यह बिल्कुल आवश्यक है कि

18. इस न्यायालय ने इस दलील पर भी ध्यान दिया कि कुछ वाहन मिट्टी के तेल पर चलते पाए गए थे। इस न्यायालय ने उचित आदेश जारी किया है। इस संबंध में भी निर्देश। दिल्ली एम. सी. मेहता बनाम में तेरह हॉटस्पॉट की पहचान की गई थी।

भारत और ओआरएस का संघ।

ऊपर उल्लिखित आदेशों में निर्दिष्ट और नोट किया गया।19. इस न्यायालय को यह भी बताया गया कि सर्दियों में कोहरे की स्थिति वायु गुणवत्ता सूचकांक (ए. क्यू. आई.) में और गिरावट का कारण बनती है। इसके बाद अदालत ने मामले को 25.11.2019 पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। विंग ऑर्डर पारित किया गया थाः

" 1. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और सरकार के पक्षों और मुख्य सचिवों के विद्वान वकील को सुना। दिल्ली के एन. सी. टी. की लंबाई में। एएसजी श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी द्वारा दिए गए शपथ पत्र से हमें पता चलता है कि इसके बाद कुछ दिनों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में आग की संख्या बढ़ गई है। स्थिति चिंताजनक है और संकेत देती है कि आदेश का पालन नहीं किया गया है और इसके लिए न केवल राज्य तंत्र जिम्मेदार है, बल्कि किसान भी जिम्मेदार हैं। उपरोक्त पहलुओं और वायु गुणवत्ता सूचकांक को ध्यान में रखते हुए, यह लेना आवश्यक हो गया है स्थिति का ध्यान रखें, अन्यथा ऐसी घटनाएं नहीं होने वाली हैं

भविष्य में रुकें।

2. हमें सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सूचित किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने यह भी कहा कि उनके पास वार्षिक रूप से केवल 55 प्रतिशत तक कचरे और कचरे को साफ करने की व्यवस्था है और कचरे/कचरे को साफ करने की वार्षिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद शेष 45 प्रतिशत को साफ नहीं किया जा सकता है। हमने दिल्ली और अन्य स्थानों में जल प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को अशुद्ध पानी की आपूर्ति की जा रही है और इसके विपरीत ऐसी खबरें हैं कि नमूनों में हेरफेर किया गया है। हम इस मामले को उस पर नहीं छोड़ सकते। वास्तव में, वायु और जल प्रदूषण के ऐसे मामले में, सभी हितधारकों पर यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे

बेहतर हवा और पीने योग्य पानी प्रदान करने के लिए आवश्यक। यह बात सरकार के मुख्य सचिव ने भी कही। दिल्ली का कहना है कि शासन की कुछ समस्याएं हैं। शासन की समस्या, यदि कोई हो, ऐसे मामलों से निपटने के रास्ते में नहीं आ सकती है। यह है।

सरकारी मशीनरी से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिद्वंद्वी दावों में प्रवेश न करें, बल्कि एक साथ बैठकर इस बात पर काम करें कि [2020] 2 एस. सी. आर. में सुधार कैसे किया जाए।

हवा की गुणवत्ता और पीने योग्य पानी की आपूर्ति की जा रही है या नहीं, और जल प्रबंधन में कैसे सुधार किया जाए।

जो कथित तौर पर दिल्ली की तुलना में वायु गुणवत्ता सूचकांक में अधिक प्रदूषित हैं, जिनमें से तीन केवल उत्तर प्रदेश में बताए गए हैं। इसलिए, हम सभी राज्यों को नोटिस जारी करने का प्रस्ताव करते हैं कि वे हमें रिपोर्ट करें कि क्या है विभिन्न शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक। वे कचरा, कचरा आदि उठाने के संबंध में अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे कर रहे हैं और कुल मिलाकर, हम इस तथ्य पर न्यायिक ध्यान दे सकते हैं कि विभिन्न राज्यों के कई शहरों में लगभग ऐसी ही स्थिति है। निगमों के पास बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं।

हर दिन। ऐसा प्रतीत होता है कि यह खोई हुई प्राथमिकताओं का मामला है। वैसा ही रहे। हो सकता है, कुछ शहर हैं जो भारत में कचरे का प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधन कर रहे हैं, जो इंगित करता है कि यह हो सकता है

प्रभावी तरीके से किया गया लेकिन उस संबंध में उचित योजना का अभाव है।

4. हम देखते हैं कि यमुना नदी वस्तुतः एक कीचड़ में बदल गई है। हम इस स्थिति का न्यायिक संज्ञान लेते हैं। गंगा के साथ भी यही स्थिति है। जैसे-जैसे यह आगे बढ़ रहा है, औद्योगिक अपशिष्ट नदियों में डाला जा रहा है। सीवेज को भी सीधे नदियों में डाला जा रहा है जो नदी के जल प्रदूषण में योगदान देता है। हम विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ-साथ केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और विभिन्न सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे संबंधित राज्यों की विभिन्न नदियों के संबंध में डेटा और सामग्री हमारे सामने रखें और ऐसी नदियों में प्रदूषण को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं और

औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज, कचरा, अपशिष्ट और जल प्रबंधन सहित वायु प्रदूषण के बारे में प्रबंधन। हम जल प्रबंधन के अंतिम मामले को इस मामले के साथ जोड़ते हैं।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

5. पंजाब राज्य के मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसी कुछ मशीनें हैं जिनके द्वारा पराली एकत्र की जा सकती हैं जिन्हें बेलर कहा जाता है, लेकिन वे मशीनें केवल कुछ जिलों में केंद्रित हैं। उन्होंने हमें इस तथ्य का आश्वासन दिया है कि ऐसे बेलर विभिन्न जिलों में ब्लॉक स्तर पर प्रदान किए जाएंगे ताकि छोटे किसान इसका उपयोग कर सकें ये मशीनें पराली हटाने के लिए हैं। हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को भी इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देते हैं। हम विभिन्न अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी करते हैं क्योंकि विभिन्न अन्य राज्यों में भी पराली जलाई जा रही है ताकि वे अपने राज्यों में पराली जलाने और वे क्या कदम उठा रहे हैं, इस बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

और वे इस संबंध में क्या करने का प्रस्ताव रखते हैं।

6. स्मॉग टावर्स के संबंध में, एक ठोस निर्णय लिया जाए आज से 10 दिनों के भीतर किस तरह के टावरों की आवश्यकता है जो सफलतापूर्वक काम कर सकें और ऐसे कितने टावरों की आवश्यकता है ताकि दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्र में हो रहे प्रदूषण से निपटा जा सके। यह निर्णय न केवल दिल्ली सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए, बल्कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों द्वारा भी लिया जाना चाहिए, जहां स्थिति बिगड़ने की सूचना है।

7. हमें बताया गया है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा एंटी स्मॉग गन का प्रयोग किया गया था जिसका उपयोग एक तोप के रूप में किया जाता है जो निलंबित प्रदूषकों को नीचे लाने के लिए हवा में 50 मीटर स्वचालित पानी का छिड़काव करती है। इस उपकरण को पानी की टंकी से जोड़ा गया है और इसे वाहन से शहर के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जा सकता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली की एन. सी. टी. सरकार हमें क्या बताए

इन एंटी स्मॉग गन का उपयोग करने और प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस संबंध में कदम उठाए हैं और प्रयोग का परिणाम जो था

प्रदर्शन किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) को भी 10 दिनों के भीतर ऐसी बंदूकों के उपयोग से उत्पन्न प्रभाव के बारे में पता लगाने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने दें। 8. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अन्य तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। उद्योगों से ओजोन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑक्सी फर्नेस विकसित किए जा रहे हैं। i) वायरलेस सेंसर; ii) नैनो प्रौद्योगिकी; iii) लेजर विधियाँ; (iv) स्पेक्ट्रोस्कोपिक निगरानी तकनीकें और (v) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है।

9. हमें केंद्र सरकार [2020] 2 एस. सी. आर. द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति और सी. पी. सी. बी. द्वारा संबद्ध एक आई. आई. टी. विशेषज्ञ की आवश्यकता है।

उपरोक्त विभिन्न प्रौद्योगिकियों और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है और उनकी व्यवहार्यता आदि पर काम करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के हितधारकों को शामिल करना। समिति का गठन आज से तीन दिनों के भीतर किया जाए और उपर्युक्त प्रौद्योगिकियों के संबंध में इस संबंध में तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

10. जैसा कि हमने देखा है कि पिछले कई वर्षों से, की स्थिति

इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद वायु प्रदूषण बिगड़ रहा है। रिपोर्टों और वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चलता है कि लोगों का एक बड़ा वर्ग कैंसर, अस्थमा और कई अन्य वायु प्रदूषण के कारण खतरनाक बीमारियों से पीड़ित है

बीमारियाँ। जीवनकाल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। समय आ गया है कि विभिन्न राज्य जीवन के अधिकार को महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं। मानव जीवन और स्वास्थ्य खतरे में पड़ गए हैं। ऐसे परिदृश्य में, उन्हें ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा देने की आवश्यकता क्यों नहीं होनी चाहिए जो वायु प्रदूषण की जांच करने के लिए अपर्याप्त व्यवस्था से प्रभावित हो रहे हैं, कचरा नहीं उठाना, कचरा जो अंततः प्रदूषण में वृद्धि करते हैं।
11. इस मामले में हम पाते हैं कि दिल्ली में उत्पन्न होने वाले कचरे/कचरे को साफ करने की क्षमता 45 प्रतिशत तक कम है। कई अन्य स्थानों पर भी यही स्थिति है। हम उस स्थिति पर ध्यान देते हैं जो चिंताजनक है और समय आ गया है कि राज्य मशीनरी को उनके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाया जाए क्योंकि हम सभी इस महान देश के लोगों की सेवा करने के लिए हैं। हमारे संविधान में कुछ निदेशक सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है क्योंकि वे सरकार के विवेक पर अधिक महत्वपूर्ण अधिकार हैं। न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना है, लेकिन लापरवाही इस हद तक नहीं हो सकती है कि निष्क्रियता से जीवन का अधिकार खतरे में पड़ जाए।

12. हम पाते हैं कि राज्य को श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का ध्यान रखना है। बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकास करने के अवसर और सुविधाएं दी जाती हैं। अनुच्छेद 41 के तहत राज्य का कर्तव्य है कि वह बुढ़ापे, बीमारी और अक्षमता आदि की देखभाल करे। राज्य भी बाध्य है

अनुच्छेद 47 के तहत पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 48 के तहत, राज्य

कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास करना उसका कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 ए वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 ए (जी)

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

प्राकृतिक की रक्षा और सुधार के लिए व्यक्तियों को कर्तव्य प्रदान करता है

वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित पर्यावरण और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखना। अनुच्छेद 51ए (एच) में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने की आवश्यकता है।

13. न केवल हवा और पानी के संबंध में बुनियादी मौलिक अधिकारों की अनदेखी की जा रही है, बल्कि शासन की समस्या को भी पेश किया जा रहा है, जो बुनियादी मौलिक अधिकारों के रास्ते में नहीं आ सकते हैं जो एक इंसान को प्राप्त हैं, राज्य नीति में निहित मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों की बात करने के लिए बहुत कम है जो पहले ही नगरपालिका कानूनों, वायु प्रदूषण और जल अधिनियमों की रोकथाम और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के रूप में वैधानिक अभिव्यक्ति पा चुके हैं, लेकिन हम देखते हैं कि न तो वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और न ही कई राज्यों में पानी की गुणवत्ता में, बात करने के लिए नहीं।

14. उपरोक्त स्थिति में, हमें विभिन्न राज्य सरकारों को न केवल वायु गुणवत्ता के बारे में, बल्कि आपूर्ति किए जा रहे पानी और पानी की गुणवत्ता के बारे में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना होगा प्रबंधन प्रणाली।

15. साथ ही, जैसा कि हम पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के बावजूद, हम वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार करने में सक्षम नहीं हैं जो हम कम से कम दिल्ली और एन. सी. आर. में निश्चित रूप से देख सकते हैं। समय आ गया है कि राज्य सरकारें यह बताए कि उन्हें खराब वायु गुणवत्ता से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। जाहिर है, राज्य प्रशासन द्वारा चलाया जाता है, विभिन्न राज्यों के संबंधित तंत्र पर भी इस तरह के अत्याचार के लिए दायित्व क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए जो अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं। नगर परिषद में यह न्यायालय, रतलाम बनाम वर्धीचंद और अन्य। , (1980) 4 एस. सी. सी. 162 में सूचित किया गया है कि उन्हें इस दिशा में उचित और सकारात्मक कार्रवाई करनी होगी। नागरिक सुविधा प्रदान करना उनका परम कर्तव्य है।

सुविधाएँ, और यह भी देखना कि स्व-निर्मित दिवालियापन वैधानिक दायित्व के निर्वहन में नहीं आता है जो हैं मानव जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक। हमने [2020] 2 एस. सी. आर. के दौरान देखा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इन तर्कों का क्रम कि एक राज्य बोझ अपने ऊपर डाल रहा है

केंद्र और फिर यह केंद्र की ओर से कहा जाता है

सरकार ने योजना बनाई है और यह राज्य सरकारों के लिए इसे लागू करने के लिए है। हम न केवल नीति की उम्मीद करते हैं

बनाना 'लेकिन इसका कार्यान्वयन भी'। वायु प्रदूषण के कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को जवाब देना चाहिए कि संबंधित सरकार और उसके संबंधित तंत्र को ऊपर से नीचे तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए।

जिन परेशानियों का सामना किया जा रहा है और रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि जीवन काल कम किया जा रहा है। कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जाए विभिन्न राज्य सरकारों और मुख्य सचिवों को छह सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करना। मामले को 17.01.2020 पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव

उस तारीख को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

16. इसके अलावा, हम किसानों की ओर से पेश विद्वान वकील को भी नोटिस जारी करते हैं कि इस अदालत के आदेशों का उल्लंघन क्यों किया गया है और किसानों को मुआवजा देने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए जो इस अदालत द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और उन पर बोझ क्यों नहीं डाला जाना चाहिए।

उन्हें भी।

17. अन्य तकनीकों के संबंध में निर्णय लिया जाए।

ऊपर पैराग्राफ नंबर 8 में उल्लिखित है और आज से 10 दिनों के भीतर स्मॉग गन और स्मोक टावरों पर कार्रवाई करने का निर्णय भी लिया गया है। उपरोक्त पहलुओं पर विचार करने के लिए मामले को सूचीबद्ध करें

09.12.2019 . "

20. इस अदालत को फिर से इस बात से अवगत कराया गया कि पंजाब और हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों में पराली जलाने का मामला दर्ज किया गया था।21. दिल्ली और अन्य स्थानों में जल प्रदूषण के संबंध में, लोगों को अशुद्ध पानी की आपूर्ति किए जाने वाले बंदरगाहों को देखते हुए, जो पीने योग्य हैं, हमने संबंधित अधिकारियों को पानी की गुणवत्ता और पानी में सुधार के तरीकों को सुधारने के लिए एक साथ बैठने का निर्देश दिया है

सीमेंट।

22. यह बताया गया कि दिल्ली के अलावा, दिल्ली की तुलना में एक्यूआई के मामले में छह अधिक प्रदूषित शहर थे। हमने सभी को नोटिस जारी किया है। राज्यों को वायु की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए और निगम और अन्य नगर निकाय कचरे के प्रभावी निपटान के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। नदियों के प्रदूषण के बारे में, इस न्यायालय ने आंकड़ों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि नदियों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि 300 से अधिक नदियों को औद्योगिक अपशिष्ट, सीवेज आदि के माध्यम से प्रदूषित होने की सूचना है।

23. पंजाब राज्य के मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि पराली को बैलर नामक मशीनों द्वारा एकत्र किया जा सकता है। वे थे।

24. हमने निर्देश दिया है कि स्मॉग टावर्स के संबंध में निर्णय न केवल दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा बल्कि सभी द्वारा लिया जाए संबंधित हितधारक अर्थात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि। एंटी स्मॉग गन के संबंध में भी, हमने निर्देश दिया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस अदालत को सूचित किया जाए। इसके अलावा, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि नई तकनीक के उपयोग पर इस तरह विचार किया जाएः

1. उद्योगों से ओजोन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऑक्सी भट्टियाँ।

2 . बेतार संवेदक

3. नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग

4. लेजर विधियाँ

5. स्पेक्ट्रोस्कोपिक निगरानी तकनीकें

25. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विधियाँ भी उपयोगी हैं। हमने निर्देश दिया है कि उपयुक्त समिति का गठन किया जाए और निर्णय लिया जाए और इस न्यायालय को सूचित किया जाए। हमने यह भी नोट किया है कि वायु प्रदूषण बिगड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग दुष्प्रभाव के रूप में पीड़ित हैं विभिन्न रोग जैसे कैंसर, दमा आदि। जीवन काल भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। हमें यह भी कारण दिखाने की आवश्यकता है कि वायु प्रदूषण की जांच के लिए अपर्याप्त व्यवस्था करने के लिए लोगों को मुआवजा देने के लिए राज्य तंत्र को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए, जिसमें कचरा और कचरे को उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो अंततः प्रदूषण में भी वृद्धि करती है। हमने सरकार और विभिन्न अन्य निकायों, राज्य के संवैधानिक वैधानिक दायित्वों पर ध्यान दिया है।

उपर्युक्त आदेश में सरकारें और विभिन्न नगर निकाय।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिल्ली सरकार के साथ-साथ भारतीय मानक ब्यूरो से जल प्रदूषण के बारे में भी रिपोर्ट मंगाई है। हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार को भी जवाब देने के लिए कहा है कि संबंधित सरकार और उद्योग को संविधान की धारा 21 के तहत उनके अधिकारों के उल्लंघन और उनके सामने आने वाली विभिन्न परेशानियों के लिए व्यक्ति को मुआवजा देने के लिए क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। इसके लिए मामले को सूचीबद्ध किया गया है

. 2020 .

26. इसके बाद मामले को 9.12.2019 पर लिया गया और निम्नलिखित

पारित किया गयाः

" श्री ए. एन. एस. नाडकर्णी, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि केंद्र सरकार ने इस मामले को समिति को भेज दिया था। स्मॉग गन और स्मोक टावर्स और अन्य प्रौद्योगिकियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा गठित, जैसा कि क्रम संख्या में उल्लेख किया गया है। 6 , 7 & 8 दिनांकित 25.11.2019 आदेश का।

मुख्य सचिवों, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को भी समिति का सदस्य बनाया जाए।

केंद्र सरकार द्वारा गठित।

समिति की रिपोर्ट के संबंध में दाखिल की जाए

दिनांकित आदेश के पैराग्राफ 6,7 और 8 में उल्लिखित पहलू

25.11.2019 , 11.12.2019 द्वारा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को भी 11.12.2019 पर या उससे पहले पराली जलाने के मामले में प्रतिक्रिया देने दें।

विचार के लिए मामले को 16.12.2019 पर सूचीबद्ध करें।

जैसा कि विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने उल्लेख किया है,

रिपोर्ट संख्या। 1 और 2 को भी विचार के लिए रखा जाए

16.12.2019 .

आई ए एन ओ एस। 177602 AND 177610/2019

05.12.2019 दिनांकित शपथ पत्र में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण

बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) ने कहा हैः

" 12. यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि यह सामान्य रूप से अनुभव किया जाता है कि जलवायु स्थिति के आधार पर दिसंबर के महीने में एक्यूआई श्रेणी भिन्न होती है।

एम. सी. मेहता बनाम के मामले में। भारत और ओआरएस का संघ।

वास्तव में, पिछले वर्ष (2018) दिसंबर महीने में 8 दिन थे गंभीर एक्यूआई श्रेणी में। वर्तमान में स्थिति गंभीर नहीं होने के कारण सी. पी. सी. बी. का मानना है कि आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

रात के समय (शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक) निर्माण गतिविधियों के लिए किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जी. आर. ए. पी. में निर्धारित मानदंडों के अधीन, दिन के समय (सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक) गतिविधियों की अनुमति देकर लगाए गए प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाया जा सकता है।

निर्माण गतिविधियों में धूल नियंत्रण और गैर-निर्माण गतिविधियों को बंद करना। अनुपालन स्थलों को मध्यम से खराब एक्यूआई श्रेणी में अनिवार्य किया गया है और आगे निर्माण गतिविधियों पर एक बैंक लगाया जा सकता है

ई. पी. सी. ए. द्वारा यदि परिवेशी वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर +/में बना रहता है

48 घंटे या उससे अधिक के लिए आपातकालीन श्रेणी।

इसलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) द्वारा की गई सिफारिशों के संदर्भ में प्रतिबंध में ढील दी गई है।

ऊपर। हालांकि, निर्माण को बढ़ाने के लिए शर्तें सावधानीपूर्वक पालन किया।

आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है।

. प्रत्यर्थी संख्या 1, यानी मंत्रालय द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है।

वन और जलवायु परिवर्तन पर, जिसमें यह बताया गया है कि मंत्रालय ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बारे में एक रिपोर्ट पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जिसका उपयोग किया जा सकता है। निट्टी का गठन निम्नलिखित के साथ किया गया है:ए। सदस्य सचिव, सी. पी. सी. बी-अध्यक्ष

निदेशक, नीरी-सदस्य

सदस्य सचिव, डी. पी. सी. सी.-सदस्य

प्रौद्योगिकी मिशन प्रभाग के प्रमुख, डीएसटी-सदस्य

प्रोफेसर मुकेश खरे, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई. आई. टी.

दिल्ली-सदस्य

प्रोफेसर मुकेश शर्मा, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आई. आई. टी. कानपुर-सदस्य वायु गुणवत्ता प्रभाग के प्रमुख, सी. पी. सी. बी.-सदस्य "

. जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी, मंत्रालय विचार करेगा।

समिति की रिपोर्ट और इसे न्यायालय को प्रस्तुत करें।

29. पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा एक हलफनामे के रूप में एक स्थिति रिपोर्ट भी 12.2019 दाखिल की गई है

ई. निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गयाः

स्मॉग टावर

ऑक्सी-भट्टी नैनो टेक्नोलॉजी

रासायनिक विधियाँ निगरानी तकनीकें

आई. बेतार संवेदक नेटवर्क

ii. लेजर विधियाँ iii. स्पेक्ट्रोस्कोपिक निगरानी तकनीकें

30. निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया गयाः

स्मॉग टावरः

" आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी-दिल्ली के सहयोग से एक प्रस्ताव

मिनेसोटा विश्वविद्यालय ने बड़े पैमाने पर वायु सफाई का प्रस्ताव रखा

प्रदूषण को कम करने के लिए डाउन-ड्राफ्ट दृष्टिकोण के साथ प्रणाली। एकाग्रता का स्तर। तकनीक का उद्देश्य प्रदूषित हवा के मार्ग के लिए बिजली से चलने वाले रैनस और फिल्टर बैंक के माध्यम से हवा के प्रवाह के लिए डाउन ड्राफ्ट प्रदान करना है। प्रौद्योगिकी मीनार के ऊपर से हवा चूसती है और जमीन से 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उच्च दक्षता वाले फिल्टर के माध्यम से एक डाउनड्राफ्ट प्रवाह प्रदान करती है। प्रवाह 40 प्रशंसकों द्वारा प्रेरित है। भूमि क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 मीटर x है। 20 कफ़न और सुरक्षा क्षेत्र के लिए 10 मीटर x 10 मीटर से घिरे टावर आधार के लिए मीटर, इस प्रकार कुल 30 मीटर x 30 मीटर के साथ लगभग। 20 मीटर की ऊंचाई यह मीनार 6 मीटर x 6 मीटर आयताकार स्टेनलेस फ्रेम लागू कंक्रीट संरचना से बनी होगी और 40 पंखे 960 घन मीटर/सेकंड की कुल वायु प्रवाह दर के साथ चारों तरफ 4 मीटर उच्च निस्पंदन प्रणालियों के माध्यम से हवा को आगे बढ़ाएंगे। प्रभावी स्वच्छ हवा

75 मिलियन घन मीटर/दिन की वितरण दर (सी. ए. डी. आर.) है। यह बताया गया था कि औसतन 65 प्रतिशत की कमी 700 मीटर तक प्राप्त की जा सकती है और यह नीचे की दिशा में 1 किमी से अधिक को प्रभावित करने की उम्मीद है। उसी समय प्रभाव की त्रिज्या अन्य सभी दिशाओं में लगभग 400 मीटर है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

31. सुझाउ के अनुसार एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विशेषज्ञ पैनल और दिल्ली सरकार द्वारा कनॉट प्लेस में पायलट परियोजना शुरू करने के लिए। यह भी बताया गया है कि मंत्रालय नई तकनीकों को अपनाने के पक्ष में है, जो वायु प्रदूषण को कम करने और जड़ से काटने में मदद करता है। इस प्रकार मंत्रालय ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र में एक या दो प्रदर्शन टावर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

उच्च प्रदूषण स्तर के स्थानीय निवासी। इन प्रदर्शन टावरों की दक्षता के बाद, मंत्रालय कई टावर लगाने पर विचार करेगा। मीनारें।

पुनः में - एंटी स्मॉग गन

32. धुंधरोधी बंदूकों के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं -

बनाया गयाः

" सी. पी. सी. बी.-डी. पी. सी. सी. अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एंटी-स्मॉग गन अनुप्रयोग की अवधि के दौरान स्थानीयकृत (50-70 मीटर) धूल को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकती है और बड़े निर्माण स्थलों जैसे उच्च धूल उत्सर्जन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती है। पुनः में - ऑक्सी भट्टी

33. ऑक्सी फर्नेस के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

" जबकि ऑक्सी के उपयोग का सुझाव देने के लिए उदाहरण हैं

कांच उद्योगों में ईंधन भट्टियाँ, अन्य उद्योगों के लिए केवल अनुसंधान परियोजना/प्रायोगिक अध्ययन चलाए गए हैं। हालांकि, बिजली संयंत्रों में ऑक्सी भट्टियों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए परीक्षण किए गए हैं।

बड़े पैमाने पर दौड़ने का कोई उदाहरण नहीं मिला है।

यह सुझाव दिया जाता है कि किसी दिए गए आकार और क्षेत्र के लिए ऑक्सी फर्नेस की क्षेत्र विशिष्ट प्रयोज्यता को समझने के लिए, संबंधित मंत्रालय के सहयोग से मेरे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल करते हुए एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया जा सकता है। यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि शहरी केंद्रों में, अधिकांश एन. ओ. एक्स. वाहनों से छोड़ा जाता है। इस प्रकार, एक नहीं हो सकता है

ऑक्सी भट्टियों के कार्यान्वयन के साथ ओजोन के परिवेशी वायु स्तर में काफी कमी आई है। नाइट्रोजन का उत्सर्जन भी होता है।

इन क्षेत्रों के लिए निर्दिष्ट मानक। "[2020] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुनः में - नैनो प्रौद्योगिकी

34. नैनो प्रौद्योगिकी के संबंध में यह बताया गया है कि नैनो प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के चरण में है।

पंखों के अवलोकन किए गए हैं:

" निष्क्रिय वायु सफाई के लिए फोटोकैटालिटिक पेंट का उपयोग अनुसंधान और विकास के चरण में है और बाहरी वायु की पैसिस फोटोकैटालिटिक सफाई के कार्यान्वयन के लिए छोटी और हल्की दोनों तरह की आवश्यकता होगी।

बड़ी प्रदर्शन परियोजनाएं।

नैनोमटेरियल्स से नैनोपार्टिकल्स की रिहाई को नियंत्रित करने वाले मापदंडों की बेहतर समझ की आवश्यकता है ताकि सुरक्षित पेंट तैयार किए जा सकें जैसे कि कम नैनोपार्टिकल्स और वी. ओ. सी.

एक ही प्रकाश उत्प्रेरक दक्षता।

यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित मंत्रालय, आई. आई. एस. सी., आई. आई. टी. कानपुर और पेंट निर्माताओं के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में एक प्रायोगिक अध्ययन किया जाए ताकि सफाई के लिए नैनो सामग्री का उपयोग करके पेंट की प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा सके।

अन्य अवांछनीय यौगिकों की रिहाई की निगरानी सहित परिवेशी वायु।

पुनः में - रासायनिक विधियाँ

35. रासायनिक विधियों के संबंध में समिति ने

टिप्पणियाँ:

" रासायनिक विधियाँ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अच्छी तरह से स्थापित विधियाँ हैं।

दिल्ली एन. सी. आर. में एजेंसियों को निर्माण और विध्वंस स्थलों और कच्ची सड़क जैसे धूल नियंत्रण की आवश्यकता वाले स्थानों पर धूल दबाने वाले पदार्थों का उपयोग करने का सुझाव पहले ही दिया जा चुका है।

36. बेतार संवेदक यंत्रों, लेजर विधियों और स्पेक्ट्रोस्कोपिक निगरानी तकनीकों जैसी निगरानी प्रौद्योगिकी के संबंध में

उच्च स्तरीय समिति के प्रस्तावों को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

" वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रौद्योगिकी अभी भी विकास में है।

स्टेज और आई. आई. टी. और एन. ई. ई. आर. आई. प्रदर्शन का मूल्यांकन इसकी सटीकता के संदर्भ में कर रहे हैं।

वास्तविक समय के उपकरण। स्मार्ट सिटी वायु गुणवत्ता निगरानी ने डब्ल्यू. एस. एन. को सामुदायिक निगरानी नेटवर्क के रूप में शामिल किया है। हालांकि, डब्ल्यू. एस. एन. का उपयोग एम. सी. एम. ई. एच. टी. ए. बनाम जैसी कुछ गतिविधियों के लिए एक सूचक निगरानी उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ।

खनन, बड़े निर्माण स्थल, जिनमें उत्सर्जन क्षमता है वायु गुणवत्ता डेटा का पूरक और संचालन के लिए नियामक को रिपोर्ट करें

कार्रवाई करने से पहले आगे की जांच करें।

***

***

***

लेजर प्रकाश प्रकीर्णन आधारित परिवेशी कण निगरानी भारत में बड़ी स्थानिक-अस्थायी परिवर्तनशीलता के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और

विभिन्न कण विशेषताओं के प्रति इस तकनीक की संवेदनशीलता और

क्या मौसम के बीच और उसके भीतर की स्थिति अधिक होती है

विनियामक निगरानी में इस सिद्धांत को अपनाने में कठिनाइयाँ

भारत, हालांकि इस तकनीक पर आधारित प्रमाणित उपकरण हो सकते हैं

भविष्य में विचार किया जाएगा।

लिडार के संबंध में, इस तकनीक को ऊर्ध्वाधर के लिए अपनाया जा सकता है

उच्च स्तर पर प्रदूषकों के परिवहन पर नज़र रखने के लिए कुछ स्थानों पर निगरानी

ऊँचाई और वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान के अनुकूलन के लिए।

***

***

***

विशिष्ट अनुप्रयोगों वाली नई विधियों को शामिल किया जा रहा है। आवधिक समीक्षा के बाद विभिन्न तकनीकी दिशानिर्देशों में।

37. सरकार की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है

दिल्ली सरकार, उच्च स्तरीय समिति की टिप्पणियों की ओर इशारा करते हुए।

स्थापना के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना का उल्लेख किया है टी-स्मॉग टावर्स। यह बताया गया है कि उन्होंने निर्णय लिया है कि

कनॉट प्लेस में एक मीनार। यह प्रस्तावित किया गया है कि प्रायोगिक परियोजना सितंबर 2020 तक पूरी हो जाएगी। एंटी जी गन के संबंध में निम्नलिखित अवलोकन किए गए हैं

आई. एम. एन. टी./परीक्षण

तोप के 360 डिग्री घूर्णन के साथ मीटर। तोप / बंदूक क्षैतिज से परमाणुयुक्त पानी छिड़कने के लिए भी सुसज्जित थी।

सीमा (0 डिग्री) 60 डिग्री तक। उपकरण जुड़ा हुआ था

प्रयोग के दौरान वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए, परिवेश प्रयोग के क्षेत्र के आसपास वायु गुणवत्ता मानकों से पहले, के दौरान

समय के विभिन्न बिंदुओं पर और प्रयोग के बाद [2020] 2 एस. सी. आर.

रिकॉर्ड किए गए। निम्नलिखित के दौरान देखा गया था

प्रयोगः

आई. परिवेशी वायु गुणवत्ता (पीएम 2.5) प्रयोग से पहले और बाद के घंटों की तुलना में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत कम दर्ज की गई। प्रयोग की अवधि के दौरान पीएम 10 भी 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के समान अंतर से नीचे आ गया और छिड़काव बंद होने के एक घंटे बाद तक प्रभाव जारी रहा।

ii. प्रयोग के दौरान, परमाणुयुक्त पानी की बूंदों ने लगभग 70 मीटर तक की यात्रा की और जमीन का कोई पर्याप्त गीलापन नहीं था जिस पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि

यह पानी के उपयोग का अनुकूलन है और परमाणुयुक्त पानी की बूंदों और कण पदार्थ और परिणामी सफाई प्रभाव के बीच संपर्क की बहुत अधिक संभावना थी।

iii. यद्यपि प्रयोग के दौरान परिवेशी वायु गुणवत्ता पर मापने योग्य प्रभाव पड़ा था, हो सकता है कि इसका योगदान अन्य प्रभावित करने वाले कारकों द्वारा किया गया हो और यह केवल वायु गुणवत्ता तक ही सीमित न हो।

एंटी स्मॉग गन का उपयोग।

iv. अवलोकन दल द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि एंटी-स्मॉग गन में निम्नलिखित गतिविधियों में स्थानीय स्रोतों द्वारा हवा में जोड़े गए कणों के भार को कम करने की क्षमता हैः

बड़े निर्माण स्थल

-

सड़क निर्माण विशेष रूप से मिट्टी के काम और संकुचन के दौरान फैला हुआ है।

खनन गतिविधियाँ

बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान कच्ची जगहों पर बड़ी पार्किंग स्थल।

विध्वंस गतिविधियाँ

-

धूल प्रवण यातायात गलियारों पर छिड़काव।

वी. अवलोकन दल द्वारा आगे यह अनुशंसा की जाती है कि इस तरह की एंटी स्मॉग गन के उपयोग पर ऊंची इमारतों की छत पर भी विचार किया जा सकता है ताकि ट्रैपिंग में इसकी प्रभावशीलता को मापा जा सके।

खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों के दौरान कण पदार्थ "।

38. यह इंगित किया गया है कि उपरोक्त आई. एम. टी. दिनांक 2.12.2019 के आधार पर सभी निर्माण एम. सी. एम. एच. टी. ए. बनाम. को निर्देश दिए गए हैं।

भारत और ओआरएस का संघ।

दिल्ली में बड़े निर्माण स्थल पर गतिविधियों में लगी एजेंसियां एंटी स्मॉग गन का उपयोग करती हैं ताकि मिट्टी के काम, संघनन, कंक्रीट, कच्चे माल की लोडिंग और अनलोडिंग, सड़क निर्माण और विध्वंस गतिविधियों आदि जैसी गतिविधियों के दौरान धूल न निकले।

पुनः में - पंजाब राज्य द्वारा शपथ पत्रः 39. पंजाब राज्य की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है। यह.

यह बताया गया है कि विशेष निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 7.12.2019 दर्ज की गई है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है

इसके अंतर्गतः

एस नं. कार्रवाई

ऊ

पर तक

7.12.2019

आग लगने की घटनाओं की कुल संख्या 52525 दर्ज की गई

1 .

पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर उप-52287 द्वारा दौरा किए गए स्थल की कुल संख्या

2 .

संभागीय दल उन स्थलों की कुल संख्या जिन पर कोई फसल अवशेष नहीं है 26347

3 .

नोकझोंक देखी गई

ऐसे मामले जिनमें पर्यावरण क्षतिपूर्ति 23308

4 .

थोपा गया

(राशि) (रु। 6. 10 करोड़)

राजस्व अभिलेख में की गई लाल प्रविष्टियाँ

5 .

2

3298

6 .

एयर 279 की धारा 39 के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं

(प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981। आई. पी. सी. की धारा 188 के तहत एफ. आई. आर. एस. दर्ज किया गया

1

737

7 .

अधिरोपित मामलों की कुल संख्या 84

8 .

फसल कटाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति संयोजन

40. यह भी बताया गया है कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए

गैर-बासमती धान के लिए Rs.100/- प्रति कुंतल की राशि, कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक योजना तैयार की है।

उन छोटे और सीमांत किसानों को भुगतान जो पराली नहीं जलाते हैं। कुल 240307 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 29725 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए। 38697 आवेदनों को सत्यापित किया गया था, जबकि 171885

आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. पंजाब राज्य ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि 6.11.2019 के आदेश के अनुसार कुल मशीन की आपूर्ति 21,302 है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने मामूली किराये की दर तय की है जिस पर कस्टम हायरिंग सेंटर और सहकारी समितियों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को मशीनरी प्रदान की जाएगी।

समाज।

42. कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के सहयोग से एक व्यापक योजना भी तैयार की गई है।

भारत सरकार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सभी संभावित समाधान खोजने के लिए जैसे कि इन-सीटू, एक्स-सीटू, धान से अन्य फसलों में विविधीकरण के साथ-साथ बिजली उत्पादन और अन्य संबद्ध उद्योगों में धान के भूसे का उपयोग बढ़ाना। राज्य में विभिन्न प्रावधानों के तहत लगभग 200 बेलर उपलब्ध कराए गए हैं।

योजनाएँ (एस. एम. ए. एम. आर. के. वी. वाई. इन-सीटू एस. एम. ए. एम.) दिनांकित 25.11.2019 आदेश के अनुपालन में। चूंकि बेलर और रेक को इन-सीटू सी. आर. एम. योजना में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर केंद्र-राज्य शेयर पैटर्न के तहत 2019-20 के लिए एस. एम. ए. एम. योजना में शामिल किया गया है। सब्सिडी वितरण के लिए प्रक्रिया के तहत आवेदन का जिलावार विवरण भी दाखिल किया गया है।

43. पंजाब राज्य में अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और मंडी में छह निरंतर वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए गए हैं। गोबिंदगढ़, पटियाला और खन्ना। पंजाब सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग ने नौ गैर-प्राप्ति वाले शहरों, अर्थात् डेरा बस्सी, नया नंगल, पटियाला, अमृतसर, खन्ना, लुधियाना, जालंधर, डेरा बाबा नानक और मंडी गोविंदगढ़ के लिए एक कार्य योजना तैयार की है और प्रस्तुत की है। अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, मंडी, गोबिंदगढ़, पटियाला और खन्ना में वायु गुणवत्ता का स्तर रखा जाए और यदि वे सही स्तर पर नहीं हैं तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हलफनामे के पैरा 13 में उल्लिखित नौ गैर-अनुपालन वाले जिलों के संबंध में, कार्य योजना क्या है और इसकी समय सीमा का संकेत दिया जाना चाहिए।

44. पंजाब सरकार को इस संबंध में हमारे सामने रखने दें कि

सीमा शुल्क केन्द्रों में सीमांत और छोटे किसानों को क्या नाममात्र दर तंत्र प्रदान किया जाएगा, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे और योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में एक रोडमैप तैयार किया जाए और इस न्यायालय में हमारे सामने रखा जाए। जैसा कि अनुलग्नक (डी) में बताया गया है, इस न्यायालय में एक व्यापक योजना रखी जाए, जैसा कि स्थिति और उस तारीख को ध्यान में रखने के लिए निर्देश दिया गया है जिससे बकाया राशि उपलब्ध कराई गई है।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

पुनः में - हरियाणा राज्य द्वारा शपथ पत्र

45. हरियाणा राज्य की ओर से यह बताया गया है कि इसने 4128 पात्र छोटे और सीमांत किसानों की पहचान की है और उन्हें वितरित किया है

3930 किसानों को यह सत्यापित करने के बाद कि उन्होंने पराली नहीं जलाई है, उन्हें Rs.16,342,327.50/- की राशि दी जाएगी। दिनांक 1 के आदेश के बाद, हरियाणा सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त मशीनें प्रदान करके और 'परिचालन लागत' के रूप में 1,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करके सक्रिय कदम उठाए। न केवल गैर-बासमती उत्पादकों को बल्कि हरियाणा राज्य में बासमती उत्पादकों की मुच्छल किस्म को भी सहायता प्रदान की जाती है। पराली जलाने को नियंत्रित नहीं करने के लिए 23 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और ग्राम स्तर के नोडल अधिकारियों को 499 कारणदर्शक नोटिस जारी किए गए और कुल 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई। हरियाणा राज्य ने 24414 मशीनें तैनात की थीं, जिनमें से 8773 व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं, 15641 2831 कस्टम हायरिंग सेंटर (सी. एच. सी.) के साथ हैं। वर्ष के दौरान 2019-20

सरकार ने पिछले वर्ष 1300 के मुकाबले 1637 सीएचसी की स्थापना की थी।

46. हरियाणा राज्य ने सीएचसी की स्थापना के लिए ग्राम पंचायतों को शामिल करने की पहल की। ये छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त में उपलब्ध हैं।

47. हम इस संबंध में निर्देश देते हैं कि एक अपेक्षित प्रतिशत

छोटे और सीमांत किसानों के लिए मशीनें समर्पित और आरक्षित की जाएं।

48. स्ट्रा बेलर्स इकाई के संबंध में निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं

दाखिल किया गयाः

श्री. नहीं। स्ट्रा बेलर इकाइयाँ

संख्

याएँ

1

05.11.2019 यानी इससे पहले तक स्थापित

64

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश

06.11.2019 से स्थापित

131

2

11.12.2019

प्रक्रियाधीन खरीद/प्रतिष्ठान

3

155

(राज्य सरकार पहले ही जारी कर चुकी है

किसानों को खरीद के लिए अनुमति)

49. स्ट्रा बेलर्स के संबंध में प्रगति की सूचना दी जानी आवश्यक है।

इस अदालत में।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुनः में - उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शपथ पत्र

50. उत्तर राज्य की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया है।

एस. एच., जिसमें यह बताया गया है कि 1 अक्टूबर से 30 एम. बी. आर. 2019 के बीच पराली के संबंध में विभिन्न घटनाएं दर्ज की गईं। निम्नलिखित कार्रवाई की सूचना दी गई है:

आई.

" 599 लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई। 24 उप-मंडल मजिस्ट्रेटों को चेतावनी जारी की गई है।

ii.

और तहसीलदार।

एक कृषि उप निदेशक को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

iii.

iv.

पीआर के 95 (1) (जी) के तहत ग्राम प्रधानों के खिलाफ नोटिस जारी

एक्ट करें। 19 द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दी गईं।

वी.

526 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई और

vi.

कर्मचारी।

vii. 1867 के किसानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

viii. 2186 किसानों पर जुर्माना लगाया गया या। रु. इसका उल्लंघन करने के लिए अब तक 237.23 लाख और 66.03 लाख बरामद किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश।

ix. विभाग ने 10568 फसलों के अवशेष वितरित किए हैं

किसानों के लिए प्रबंधन उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंक। किसान कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी बैंकों से उपकरण किराए पर ले सकते हैं।

भारत सरकार ने एक सी. एच. सी. ऐप विकसित किया है

एक्स.

जहाँ एक किसान अपने निकटतम कस्टम हायरिंग सेंटरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

xi. 480 गन्ना समितियाँ और सहकारी समितियाँ भी हैं

किसानों द्वारा किराए पर लेने के लिए 2400 उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं।

xii. विभाग इसके लिए बजट प्रावधान भी कर रहा है

इन-सीटू प्रबंधन 3 लाख रुपये के उपकरणों को लागू करता है

अगले दो वर्षों में राज्य की सभी 59073 ग्राम पंचायतें, ताकि फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण

यह किसानों के निकट उपलब्ध है।

xiii. 5 प्रत्येक उपकरण को 200 मंडियों में रखा जा रहा है।

राज्य भी, एम. सी. मेहता बनाम। भारत और ओआरएस का संघ।

xiv. इन उपायों से आसान उपलब्धता में मदद मिलेगी।

किसानों के लिए उपकरण।

अंतर-विभागीय समन्वय के कारण, 5 लाख किलोग्राम/दिन

XV.

पशुओं को खिलाने के लिए गौशालाओं में पराली का उपयोग किया जा सकता है।

xvi. फसल अवशेषों के आकस्मिक प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव पहले ही तेल कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं। वे जैव ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाले फसल अवशेषों के लिए एक योजना तैयार कर रहे हैं। वे महीने में रुचि की अभिव्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं

जनवरी उन जिलों में फसल अवशेषों के आधार पर जैव ईंधन संयंत्रों की स्थापना के लिए जहां बड़े पैमाने पर जलाया गया था।

xvii. राज्य सरकार द्वारा सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सतर्क रहने और फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।

51. सार में यह बताया गया है कि विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फसल अवशेष प्रबंधन उपकरण किसानों, कस्टम हायरिंग सेंटरों और फार्म मशीनरी बैंकों को वितरित किए गए हैं, जहां किसान उनसे उपकरण किराए पर ले सकते हैं।

52. छोटे और सीमांत किसानों को मुफ्त या रियायती आधार पर उपकरण उपलब्ध कराने और आरक्षित रखने का निर्देश जारी किया जाएगा

विशेष रूप से उनके लिए कुछ उपकरण। 53. गोशालाओं में जानवरों को खिलाने और फसल अवशेषों के विशेष प्रबंधन के लिए भी पराली का उपयोग किया जा रहा है।

फसल अवशेषों को जैव ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए तेल कंपनियों के साथ संचालन। उत्तर प्रदेश राज्य को विचार-विमर्श को रिकॉर्ड में रखने दें। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को भी पशुओं को खिलाने के लिए गोशालाओं में पराली के उपयोग सहित इस पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। 54. पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (ई. पी. सी. ए.) द्वारा दायर रिपोर्ट No.106 में यह बताया गया है कि प्लास्टिक, रबर और अन्य औद्योगिक कचरे की भारी मात्रा को खुले में जलाया गया है, जो प्रदूषण के कारणों में से एक है। बवाना, मुंडका और टिकरी में, ई. पी. सी. ए. ने बंद करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डी. पी. सी. सी.) के साथ काम किया, लेकिन निर्देश पर्याप्त नहीं थे और कचरे के निपटान की समस्या जारी है।

55. बाद में दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्योग और दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस लिमिटेड कचरे को जलाने के लिए भेजने के लिए। जिसके परिणामस्वरूप 80,000 टन प्लास्टिक और अन्य [2020] 2 एस. सी. आर.

कचरे को जलाने के लिए भेजा गया है। शाहदरा नाले से लगभग 8,000 टन प्लास्टिक और अन्य कचरे को हटा दिया गया है, हालांकि, यह एक हिमशैल की नोक है। समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली और एन. सी. आर. में कचरे का ढेर लगा दिया जाता है और फिर जला दिया जाता है। इस प्रकार, इसके लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

पुनः में - ई. पी. सी. ए. द्वारा रिपोर्ट No.106 करें

56. ई. पी. सी. ए. की रिपोर्ट No.106 को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित पहलू

गौर करने की आवश्यकता हैः

प्लास्टिक के फेंके गए कचरे की पहचान होनी चाहिए,

(ए)

औद्योगिक या अन्य अपशिष्ट। कचरे को जलाया नहीं जाना चाहिए और

प्रसंस्करण/भस्मीकरण के लिए हटाया गया।

चिमनी से निकलने वाले काले धुएँ के संबंध में, यह होगा

(बी)

यह सुनिश्चित किया जाए कि उद्योग पीएम, एनओएक्स, एसओएक्स के मानदंडों और मानकों का पालन कर रहे हैं। हम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विशेष रूप से रात में औद्योगिक क्षेत्रों की कड़ी निगरानी करने और धुएँ के साथ उत्सर्जन मानदंडों या चिमनी का पालन नहीं करने वाले उद्योग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।

निर्माण स्थल से धूल के संबंध में और उचित

(सी)

विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट का प्रबंधन/निपटान, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम,

2016 फंसाया गया है। निर्माण क्षेत्र में धूल नियंत्रण के लिए एक जाँच-सूची जारी की जाए। डेवलपर्स के खिलाफ कानून के अनुसार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

मानदंडों का उल्लंघन करना। सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर निकायों को कार्रवाई करनी होगी और अपराधियों पर जुर्माना लगाना होगा

अपराधों को दोहराने और डेवलपर्स और डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उल्लंघन के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और

इसके तहत बनाए गए दिशानिर्देश।

(डी)

सड़क निर्माण परियोजनाओं के संबंध में, एक छिड़काव होने दें

पानी से। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा

सड़क निर्माण मानदंड।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

निर्माण और विध्वंस कचरे का पुनर्चक्रण वर्तमान में चल रहा है और उनकी मौजूदा और कमी की आवश्यकता को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार द्वारा भी पूरा किया जाना चाहिए। कचरा जलाने के संबंध में ठोस अपशिष्ट का अनुपालन

प्रबंधन नियम, 2016 आवश्यक है। अपशिष्ट पृथक्करण और प्रबंधन की आवश्यकता है, मौजूदा सुविधाएं क्या हैं और घाटे की आवश्यकताओं को दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की एन. सी. टी. सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।

रिपोर्ट में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2010 से 2019 में की गई कार्रवाई का उल्लेख है

इंगित किया गया हैः

सक्षम 1: वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इस डेक (2010-2019) पर कार्रवाई की गई

दिल्ली

की गई कार्रवाई

इक्टर-बुद्धिमान

सुगमताएँ

झुलसा हुआ।

अनुमोदित ईंधन सूची अधिसूचित की गई। दिल्ली में यह अधिसूचना

धूल-मिट्टी

कोयले सहित सभी गंदे ईंधनों के उपयोग पर प्रतिबंध। एन. सी. आर. राज्यों में पेट कोक, फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध है।

उद्योगों में नोक्स और सॉक्स मानकों की शुरूआत ताकि या तो वे प्रदूषण उपकरण स्थापित करें या

प्राकृतिक गैस जैसे स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ें।

दिल्ली में विभिन्न औद्योगिक स्थानों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पी. एन. जी.) नेटवर्क का विस्तार-1050 पहले ही पी. एन. जी. में परिवर्तित हो चुका है और 350 परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली सरकार ने भी सब्सिडी की पेशकश करके और गैस पर कर हटाकर औद्योगिक क्षेत्रों में गैस को बढ़ावा दिया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकृत औद्योगिक इकाइयों का 95 प्रतिशत रूपांतरण हुआ है।
उत्तरोत्तर कोयला बिजली संयंत्रों को बंद करना (कुल

वेयर पौधे

शहर में 1,245 मेगावाट की उत्पादन क्षमता और प्राकृतिक गैस की ओर बढ़ना

-- इंद्रप्रस्थ (405 मेगावाट): सितंबर 2009-राजघाट (135 मेगावाट): मई 2015

-- बदरपुर (705 मेगावाट): अक्टूबर 2018

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सार्वजनिक परिवहन के लिए सीएनजी कार्यक्रम-ऑटो, कर

वाहन

और एक दशक पहले शुरू की गई बसें

उत्सर्जन

अधिक वाणिज्यिक शामिल करने के लिए और विस्तार किया गया

खंड।

2010 में लागू किए गए वाहनों के लिए भारत चरण IV उत्सर्जन मानक और भारत चरण VI ईंधन

10 पी. पी. एम. सल्फर 2018 में पेश किया गया। 10 एक साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल

वाहनों को हटाया जा रहा है स्वच्छ ईंधन के लिए अनुकूल कराधान शुरू किया गया; दिल्ली और एन. सी. आर. में सी. एन. जी. स्टेशनों का मूल 9 से 500 से अधिक तक विस्तार

बड़ी डीजल कारों (2,000 सीसी से अधिक) पर पर्यावरण प्रदूषण शुल्क ने व्यक्तिगत कारों को प्रोत्साहित करने में योगदान दिया है। डीजल कारें

बिक्री में गिरावट आई है।

सड़क पर चलने वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जन की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है ताकि उपयोग में आने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच की जा सके।
पूरे एन. सी. आर. में शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (पी. यू. सी.) को मजबूत करना और लागू करना।

प्रवर्तन में सुधार हुआ है।

चरण I और चरण II वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली की स्थापना शुरू की गई और विस्तारित की गई। तेल कंपनियों पर 1 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गयाः आई. ओ. सी. एल., एच. पी. सी. एल. और बी. पी. सी. एल. को वाष्प वसूली के निर्देशों का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया गया

विशिष्ट कार्रवाई

वाणिज्यिक मार्ग को मोड़ने के लिए लंबी प्रतीक्षा वाली बाईपास सड़क

ट्रकों में: ऊँचा

यातायात का निर्माण: पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे (ई. पी. ई. और डब्ल्यू. पी. ई.),

प्रदूषक

जिनमें से 2005 में आदेश दिया गया था

खंड

वाहन

2018-19 में कार्यात्मक, जिसने अनुमति दी है वाणिज्यिक और अत्यधिक प्रदूषणकारी ट्रकों को बायपास करने के लिए

यह शहर

10 साल पुराने ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध कैशलेस ई. सी. सी. भुगतान के लिए दिल्ली में 13 प्रवेश बिंदुओं पर आर. एफ. आई. डी. की शुरुआत से भीड़ बढ़ेगी।

प्रभावी प्रभार।

एम. सी. मेहता बनाम भारत और ओआरएस का संघ।

ठहराव और बसों की संख्या में गिरावट के बाद और

सार्वजनिक परिवहन

यात्रियों, नई बसों की खरीद शुरू हो गई है। बस पार्किंग की बाधा को दूर किया जा रहा है।

एन. सी. आर. पारस्परिक समझौता-ऑटो और बसों को 2008 में पूरे एन. सी. आर. में सीमाओं के पार चलने की अनुमति दी गई और यह 2010 से प्रभावी है; इसके नवीनीकरण का समय आ गया है।

मेट्रो में सवारियों की संख्या 2007-08 में 6,25,000 से बढ़कर 2018-19 में 25,37,175 हो गई है। परिचालन मार्ग 65.1 किलोमीटर से बढ़ गया है।

2007-08 228.78 किमी तक 2017-18 में माँग प्रबंधन उपकरण के रूप में पार्किंग नीति अधिसूचित की गई। पार्किंग क्षेत्र प्रबंधन पर प्रायोगिक योजनाएं

योजनाएं शुरू की गईं।

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए चेकलिस्ट बनाई गई

निर्माण कार्य

ताकि प्रवर्तन में सुधार हो

और विध्वंस कचरा और सड़क

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

द.

प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित

धूल

60 मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनें हैं।

दिल्ली।

वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31 ए के तहत 16 जनवरी, 2019 के निर्देशों के अनुसार कचरा और सी एंड डी कचरे को खुले में फेंकने/जलाने पर नगर निकायों (नई दिल्ली, दक्षिण, पूर्व, उत्तर और छावनी बोर्ड) पर 1 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया है।

1981

शहर ने बुराड़ी में अपने सी एंड डी अपशिष्ट पुनर्चक्रण संयंत्र की पुनर्चक्रण क्षमता को 500 एमटीडी से बढ़ाकर 2,000 एमटीडी कर दिया है। दो नए संयंत्रों को जोड़ा गया है

क्षमता 650 एम. टी. डी.

कचरा जलाना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और विनियम 2016 अधिसूचित

दिल्ली बाय-इन नियमों के आधार पर संशोधित कानून और

जनवरी 2017 में अधिसूचित किया गया

हाल ही में, दिल्ली ने दिल्ली के मुंडका क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक को जलाने से रोकने के लिए एक कड़वी लड़ाई लड़ी, जिससे भारी जहरीली गैसें पैदा हुईं। 12 दिल्ली में विभिन्न एम. सी. डी. के वार्डों को अपशिष्ट पृथक्करण और प्रबंधन के लिए मॉडल वार्ड के रूप में चुना गया है, जिसमें सड़क के किनारे खरीदे गए 6,000 जुड़वां डिब्बे हैं। वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की संख्या बढ़कर 38 इंच हुई

निगरानी और

दिल्ली और एन. सी. आर. में 50 से अधिक

श्रेणीबद्ध किया गया

प्रतिक्रिया कार्रवाई

दिल्ली के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अक्टूबर में शुरू की गई,

योजना (जीआरएपी)

2018

2017-18 और 2018-19 की सर्दियों के दौरान प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को लक्षित करने वाली क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना लागू की गई हैः धुंध की घटनाओं के दौरान इन अल्पकालिक उपायों में बिजली संयंत्र, औद्योगिक इकाइयों को बंद करना, निर्माण पर प्रतिबंध, ईंट भट्टों पर प्रतिबंध, कचरा जलाने और निर्माण पर कार्रवाई, सड़क की धूल की मशीनीकृत सफाई आदि शामिल हैं। इसमें विषम और सम योजना का सीमित अनुप्रयोग भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्देशः

57. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्देश दोहराते हैं और/या जारी करते हैंः (i) इस न्यायालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय को व्यापक कार्य योजना के साथ रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए।

और उस पर अब तक की गई कार्रवाई।

((ii) पराली जलाने को रोकने के संबंध में, एक व्यापक योजना तैयार की जाए और कार्रवाई सहित इस न्यायालय के समक्ष रखी जाए।

लिया गया। फसल अवशेष प्रबंधन तैयार किया जाए, अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरक, पशु आहार और जैव ईंधन के रूप में इसका उपयोग करने पर भी काम किया जाए। Rs.100/प्रति क्विंटाल और इन-सीटू खेती को प्रोत्साहन और हतोत्साहित करने के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाए।

(iii) केंद्र सरकार, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को कंबाइन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना तैयार करने दें।

हार्वेस्टर, हैप्पी सीडर्स, हाइड्रोलिकली रिवर्सिबल एमबी हल, धान के भूसे का चॉपर, मल्चर, रोटरी स्लैशर, जीरो टिल सीड ड्रिल और

(iv) दिल्ली/एन. सी. आर. क्षेत्र की एन. सी. टी. सरकार और हरियाणा और यू. पी. की संबंधित सरकारों को इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने दें। विभिन्न चिन्हित हॉटस्पॉट और उनके प्रबंधन के लिए उठाए गए कदम और ऐसे हॉटस्पॉट द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों को दूर करने के लिए।

(v) (क) जैसा कि दिल्ली सरकार के उत्तर में प्रस्तावित है,

कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर को दिल्ली सरकार द्वारा पूरा किया जाना चाहिए जैसा कि उनके उत्तर शपथ पत्र में प्रस्तावित किया गया है। स्मॉग टावर को तीन महीने के भीतर पूरा होने दें।

(ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) द्वारा बताए गए अनुसार आनंद विहार में स्मॉग टॉवर स्थापित किया जाए। दिल्ली सरकार को प्रदान करने दें

सात दिनों के भीतर आनंद विहार में एक प्रायोगिक मीनार की स्थापना के लिए 30 x 30 मीटर का स्थान। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजना, हालांकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को परियोजना की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। परियोजना को पूरा होने दें।

तीन महीने के भीतर।

(vi) दिल्ली और एन. सी. आर. क्षेत्र में धुँआरोधी बंदूकों का उपयोग किया जाए।

निम्नलिखितः

(ए) बड़े निर्माण स्थल; ई (ख) सड़क निर्माण खंड, विशेष रूप से मिट्टी के काम के दौरान

और संपीड़न;

(ग) खनन गतिविधियाँ;

(घ) कच्ची जगहों पर और बड़े सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी पार्किंग स्थल

सभाएँ;

(च) धूल-प्रवण यातायात गलियारों पर छिड़काव। (छ) दिल्ली-एन. सी. आर. में पर्यावरण की आवश्यकता वाली परियोजनाओं में धुँआरोधी बंदूकों का उपयोग करना अनिवार्य बनाया जाए।

20, 000 वर्ग कि. मी. से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले स्थल पर राज्य/केंद्रीय स्तर से मंजूरी। एमटीएस। जिसमें खुदाई, सामग्री संभालना और अन्य धूल पैदा करने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं। स्थापना की लागत के संबंध में एक उचित नीतिगत निर्णय भी लिया जाए, जिसमें "प्रदूषक" सिद्धांत पर विचार किया जाए।
इस न्यायालय द्वारा विकसित "वेतन"।

(vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को प्लास्टिक, औद्योगिक और अन्य कचरे के फेंके गए कचरे की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि कचरे को जलाया न जाए और इसका उपयोग प्रसंस्करण/दहन के लिए किया जाए और ढेर किए गए कचरे को समयबद्ध आधार पर हटाया जाए और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दायर की जाए।

(viii) हम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को विशेष रूप से रात में औद्योगिक क्षेत्रों की निगरानी करने का निर्देश देते हैं।

और चिमनी से काला धुआं उत्सर्जित करने वाले उद्योगों के संबंध में कड़ी कार्रवाई करना और यह सुनिश्चित करना कि उद्योग पीएम/एनओएक्स/सॉक्स के मानदंडों और मानकों का पालन करें।

(ix) निर्माण और विध्वंस के लिए, हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं।

निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के अनुपालन के संबंध में

प्रबंधन नियम, 2016। मानकों का उल्लंघन करने वाले डेवलपर्स के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

(x) हम दिल्ली, हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकारों को निर्देश देते हैं,

राजस्थान और यू. पी. लगाए गए जुर्माने और संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए डेवलपर्स पर की गई कार्रवाई पर स्थिति रिपोर्ट दायर करेंगे निर्माण/विध्वंस गतिविधि और क्या कोई डेवलपर

ब्लैकलिस्टेड। विभिन्न स्थानीय निकायों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने दें।

(xi) सड़क निर्माण के संबंध में, पानी का छिड़काव होना चाहिए। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और दिल्ली की सरकारों को

हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सड़क निर्माण मानदंडों के अनुपालन और गैर-अनुपालन वाले हिस्से के विवरण के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करते हैं।

(xii) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्माण और विध्वंस कचरे के पुनर्चक्रण की मौजूदा सुविधाओं और इस संबंध में सुविधाओं की कमी को इंगित करने दें।

दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यापक योजना तैयार की जाए और मौजूदा सुविधाओं और समग्र आवश्यकता पर भी काम किया जाए।

(xiv) (a) ई. पी. सी. ए. के अध्यक्ष द्वारा दायर रिपोर्टों में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी-झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, साबोली की उनकी यात्रा के विवरण का संकेत दिया गया है। और मंडोली गाँव-मंडोली औद्योगिक क्षेत्र, भोपुरा सीमा, सब्जी मंडी साहिबाबाद, हिंडन विहार, गाजियाबाद और साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में कुछ समस्याओं की ओर इशारा किया गया है और कई अवलोकन किए गए हैं। हम क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि संबंधित निकायों द्वारा सभी उपचारात्मक उपाय किए जाएं और ई. पी. सी. ए. के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक अवलोकन के संबंध में किए गए उपचारात्मक कार्य के बारे में एक महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(ख) पानीपत के संबंध में, निरीक्षण रिपोर्ट में (1) शहरी विस्तार सड़क, (2) नरेला औद्योगिक क्षेत्र, (3) पानीपत औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। उपायुक्त को यह सुनिश्चित करने दें कि उचित उपाय किए जाएं उपरोक्त आदेशों में की गई टिप्पणियों के संबंध में एक महीने के भीतर लिया जाता है।

(ग) 12 अक्टूबर, 2019 को मेरठ की यात्रा के संबंध में विभिन्न पहलुओं को इंगित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ को,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर आयुक्त, मेरठ नगर निगम और मेरठ विकास प्राधिकरण एक महीने के भीतर उचित उपाय करेंगे।

(घ) 13 अक्टूबर, 2019 की यात्रा से मुंडका टिकरी के संबंध में विभिन्न टिप्पणियां की गई हैं और समस्याएं सामने आई हैं। जिनका उल्लेख संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाना आवश्यक है। हम क्षेत्रों के संबंधित अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेटों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, नगर निगमों के उपायुक्तों को उपचारात्मक उपाय करने और एक महीने के भीतर ई. पी. सी. ए. अध्यक्ष की रिपोर्ट No.16 के प्रत्येक पहलू पर बिंदुवार अनुपालन की रिपोर्ट देने का निर्देश देते हैं।

(ई) बहादुरगढ़ में ई. पी. सी. ए. अध्यक्ष के दौरे के संबंध में, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एच. एस. पी. सी. बी.), नगर मजिस्ट्रेट,

बहादुरगढ़, जिला मजिस्ट्रेट, बहादुरगढ़ और सभी संबंधित अधिकारियों को उपचारात्मक उपाय करने और एक महीने के भीतर इस न्यायालय को अनुपालन की सूचना देने का निर्देश दिया गया है।

(च) ई. पी. सी. ए. अध्यक्ष के भिवाड़ी और राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के क्षेत्र दौरे के संबंध में, सरकार, आर. आई. आई. सी. ओ., जिले को जाने दें।

(छ) उपरोक्त क्षेत्रों के संबंध में रिपोर्ट के उद्धरणों को शीघ्रता के लिए ई. पी. सी. ए. द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेजा जाए। अनुपालन।

(xv) कांच उद्योगों में ऑक्सी भट्टी के संबंध में, डीएसटी तकनीकी समिति को ऑक्सी भट्टी की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करने दें।

दिल्ली और एन. सी. आर. में कांच उद्योगों में। क्षेत्रीय विशेषज्ञ और अन्य संबंधित हितधारकों के परामर्श से दो सप्ताह के भीतर विचार किया जाए। संबंधित लागतों और तौर-तरीकों पर काम किया जाना चाहिए।

(xvi) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में धुआं उत्सर्जन नियंत्रण के लिए निर्धारित रासायनिक परीक्षण विधियों के लिए विवरण तैयार किया जाए।

उत्सर्जन मानदंडों और उनके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए।

(xvii) वायरलेस सेंसर नेटवर्क प्रौद्योगिकी में उचित अनुसंधान और विकास किया जाए। संबंधित अधिकारियों को आगे विचार करने दें।

लिडार (एक लेजर आधारित विधि) और स्पेक्ट्रोस्कोपिक निगरानी तकनीकें

जैसा कि उनके द्वारा उचित माना जाता है। विभिन्न राज्यों द्वारा परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के उपयोग पर विचार किया जाए।

(xviii) दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार को कचरा और कचरा उठाने के लिए 45 प्रतिशत की कमी क्षमता के संबंध में विवरण तैयार करने दें।

दिल्ली में उत्पन्न कचरे और कचरे के संबंध में केवल 55 प्रतिशत क्षमता उपलब्ध है। इसे तीन [2020] 2 एस. सी. आर. के भीतर एक व्यापक योजना तैयार करने दें।

महीनों तक कचरे और कचरे से निपटने और इसे इस न्यायालय के समक्ष रखने की पूरी (100%) क्षमता होनी चाहिए, जिसमें उपकरण, उपकरण, श्रमशक्ति और उस संबंध में आवश्यक व्यय शामिल हैं। (xix) मिट्टी के तेल पर चलने वाले वाहनों के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना दी जाए, की गई जांच और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट दी जाए।

संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा एक महीने के भीतर इस न्यायालय के समक्ष रखा गया।

(x) दिल्ली में आपूर्ति की जाने वाली पानी की गुणवत्ता के संबंध में, संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ-साथ भारतीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो को भी अनुमति दें। मानक, दिल्ली में विभिन्न नमूनों की यादृच्छिक जांच की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें और एक महीने के भीतर इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(xi) हम विभिन्न राज्य सरकारों को मुख्य सचिवों के माध्यम से निर्देश देते हैं कि वे इस न्यायालय को विभिन्न नदियों में सीवेज और अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्टों को डालने के संबंध में उनके द्वारा किए गए उपायों के बारे में सूचित करें और उनके द्वारा तैयार की गई योजना और सीवेज उपचार संयंत्रों के उद्देश्य के लिए उनके द्वारा की गई धन की व्यवस्था और मौजूदा सुविधाओं और आवश्यकताओं को आठ सप्ताह के भीतर इंगित किया जाए।

यातायात भीड़भाड़ की समस्या को हल करने और यातायात भीड़भाड़ की समस्या को हल करने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा पहले पारित आदेशों के अनुपालन के लिए एक योजना तैयार करें। (xiv) दिल्ली के संबंधित नगर निगमों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, संबंधित निकायों और हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को गड्ढों की देखभाल करने और तीन सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट और निम्नलिखित के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने दें:

उनके पिछले निर्देश भी दाखिल किए जाएं और यदि कोई काम बचा है, तो उसे तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए।

तदनुसार आदेश दिया।

निर्देश जारी किए गए।

कल्पना के. त्रिपाठी